उत्तर रेलवे,

अनुक्रमणिका

1.	कर्मचारी चार्टर	EMPLOYEE CHARTER	
2.	भत्ता	ALLOWANCES	
3.	अग्रिम	ADVANCES	
4.	अवकाश नियम	LEAVE RULES	
5.	पास नियम	PASS RULES	
6.	रेलवे आवास	RAILWAY QUARTER RULES	
7.	कर्मचारी हित निधि	STAFF BENEFIT FUND	
8.	सेवानिवृत्ति लाभ	RETIREMENT BENEFIT	

1. कर्मचारी चार्टर

क्र.स.	प्रकरण का विवरण	प्रकरण के निपटान की समय सीमा	
1.	कर्मचारी से प्राप्त लिखित या विभिन्न पोर्टल जैसे सिंगल विण्डो सेल, सीपीग्राम, निवारण आदि पर प्राप्त प्रतिवेदन (एमएसीपी, वेतन निर्धारण, वरियता, पदोन्नति आदि) का निपटारा	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवसों में	
2.	मंडल रेल प्रबंधक/इकाई प्रमुख से व्यक्तिगत साक्षात्कार	उसी दिन (यदि मं.रे.प्र./इकाई प्रमुख उपलब्ध नही हो तो साक्षात्कार अ.मं.रे.प्र./अपर इकाई प्रमुख द्वारा लिया जाएगा।	
3.	अनुकम्पा नियुक्ति मामला	मंडल/कारखाना स्तर पर अनुमोदन होने वाले प्रकरण	90 दिन
		जिन प्रकरणों में मुख्यालय का अनुमोदन अनिवार्य है।	मंडल स्तर पर 60 दिन मुख्यालय स्तर पर 30 दिन
4.	समापन भुगतान	अधिवार्षिता	नियत सेवानिवृत्ति तिथि
		स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, निधन/त्यागपत्र	60 दिन गैर विवादित मामलों में
5.	चयन एवं उपयुक्तता सम्बन्धी पदोन्नति मामला	गत पैनल के जारी होने 01 वर्ष में।	
6.	पारस्परिक एवं स्वंय के अनुरोध पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र	आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस में (आवेदन अग्रेषित करना या निरस्त करना)	
7.	आर.आर.बी./आर.आर.सी. द्वारा चयनित अभ्यार्थियों को बुलावा पत्र भेजना और पैनल का सत्यापन करना।	पैनल आपरेशन के 30 कार्य दिवस में।	
8.	विभिन्न प्रकार के अग्रिमों एवं ऋणों की स्वीकृति एवं भुगतान	07 कार्य दिवसों में प्रशासनिक स्वीकृति भुगतान अगले माह के वेतन में	
9.	भविष्य निधि निकासी	07 कार्य दिवसों में प्रशासनिक स्वीकृति स्वीकृति पश्चात 07 दिनों में भुगतान	
10.	भविष्य निधि खाते का विवरण जारी करना	उसी दिन	
11.	सेवा पुस्तिका का अवलोकन	01 वर्ष में एक बार	

12.	उच्च शिक्षा, सम्पति संव्यवहार, पासपोर्ट, प्रतिनियुक्ति के मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र	आवेदन प्राप्ति के 14 कार्यदिवसों में (जिन मामलों में विजिलेंस क्लीरेंस आवश्यक नहीं हैं) अन्य मामलों में 30 दिन (जिन मामलों में विजीलेंस क्लीरेंस आवश्यक है)	
13.	अनुशासन एवं अपील मामलों का निपटान	बडी शास्ति- 150 दिन छोटी शास्ति- 31 दिन	
14.	पास एवं पी.टी.ओ. जारी करना	01 कार्य दिवस	
15.	संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान, समयोपरि भत्ता एवं यात्रा भत्ता की स्वीकृति एवं भुगतान	दावे प्राप्ति के 45 कार्यदिवस में स्वीकृति। भुगतान अगले वेतन चक्र (जैसा लागू हो)	
16.	कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता एवं व्यवस्था	जहां 05 से अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत है, वहॉ महिला शौचालय तथा चैन्जिग रूम की व्यवस्था	मार्च 2018 तक
		कार्यालय भवन की सफेदी/ रंगरोगन जिसमें रेलवे स्टेशन सम्मिलित है।	प्रत्येक वर्ष
		चिन्हित तथा नामित कार्यालयों में शुद्व पेय जल की व्यवस्था	चार्टर जारी होने के 60 दिन के अन्दर में
		चिन्हित तथा नामित कार्यालयों में पंखे तथा कूलर की व्यवस्था	चार्टर जारी होने के 60 दिन के अन्दर में
		निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम्प्युटर एवं इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करना	चार्टर जारी होने के 6 माह में
17.	अवकाश आवेदनों का निपटारा	आकस्मिक अवकाश	01 कार्य दिवस
		औसत वेतन/ मातृत्व/पितृत्व /सन्तान देखभाल अवकाश	07 कार्य दिवस
18.	वरियता सूची जारी करना	वर्ष में एक बार	

2. भत्ता ALLOWANCES

1. मकान किराया भत्ता — HOUSE RENT ALLOWANCE

मकान किराया भत्ता उन रेल कर्मचारी/अधिकारियों को मिलता है जिन्हें सरकार द्वारा कोई आवास रहने के लिये नहीं दिया गया है। निजी मकान में रहने वाले को भी मकान किराया भत्ता मिलता है। पति/पत्नि दोनों कर्मचारी/अधिकारी हो और निजी या किराये के मकान में रहे तो दोनो में से किसी भी एक को मिलेगा। दोनों में से किसी भी एक को उसी नगर में सरकारी मकान मिला हो तो किसी को भी भत्ता नहीं मिलेगा। एप्रेन्टिस और प्रोबेशनर जो अराजपत्रित सेवा में है ट्रैनिंग के दौरान कोई मकान किराया भत्ता नहीं पायेंगे। एप्रेन्टिस मेकेनिक जो सेवारत रेलवे कर्मचारी के पद से नियुक्त किये जाते है, एप्रेन्टिसशिप की अवधि में मकान किराया भत्ता पायेंगे। दिनांक 01.07.2017 से मकान किराया भत्ता निम्नप्रकार है।

S.NO.	Classification of Cities/Town	Rate of HRA per months as a percentage of Basic pay only (Now)	Rate of HRA per months as a percentage of Basic pay only (When DA 25 %)	Rate of HRA per months as a percentage of Basic pay only (When DA 50 %)
1.	**X**	**24%**	**27%**	**30%**
2.	**Y**	**16%**	**18%**	**20%**
3.	**Z**	**08%**	**09%**	**10%**

एक्स, वाई एवं जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराये भत्ते की दर क्रमशः 5400 रूपये, 3600 रूपये एवं 1800 रूपये से कम नहीं होगी। जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत पार कर जायेगा, तो एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराये भत्तों की दर संशोधित कर क्रमश : 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 09 प्रतिशत कर दी जायेगी और जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के पार हो जायेगा तब इसे पुनः संशोधित कर 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत कर दिया जायेगा। रनिंग स्टाफ के सम्बन्ध में अगले आदेशों तक मकान किराये भत्तों की गणना मूल वेतन जमा 30 प्रतिशत पे एलिमेंट पर की जाती रहेगी। **फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा तथा गुडगांव** में तैनात रेलवे कर्मचारियों को दिल्ली (एक्स श्रेणी नगर) की दर पर, **जालंधर कैंट** में तैनात कर्मचारियों को जालंधर(वाई श्रेणी नगर) की दर पर, **शिलांग, गोआ तथा पोर्ट ब्लेयर** में तैनात कर्मचारियों को वाई श्रेणी की दर पर, **पंचकुला, मोहाली** में तैनात कर्मचारियों को चंडीगढ (वाई श्रेणी नगर) के बराबर मकान किराया भत्ता जारी रखने के विशेष आदेश अगले आदेशों तक जारी रहेंगे।

2. नियत चिकित्सा भत्ता — FIXED MEDICAL ALLOWANCE

रेलवे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के दिन-प्रतिदिन के चिकित्सा व्ययों कों पूरा करने के लिए रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य केंन्द्र से 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रह रहे उन रेलवे पेंशनभोगियों / परिवार पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाता है जिन्हें अस्तपाल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। **दिनांक 01.07.2017 से नियत चिकित्सा भत्ता को 500 रूपये से बढाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है।**

3.	परिवहन भत्ता	TRANSPORT ALLOWANCE

यह भत्ता उन कर्मचारियों/अधिकारियों के अलावा जिन्हे सरकारी परिवहन की सुविधा प्रदान की गई है, सभी कर्मचारी/अधिकारी को देय होगा। इस भत्ते की दर दिनांक 01.07.2017 से निम्नप्रकार है।

कर्मचारी का ग्रेड एवं वेतन	ए-1/ए वर्ग का शहर	अन्य स्थान
लेवल-09 और उससे उपर	7200 रूपये + उस पर महंगाई भत्ता	3600 रूपये + उस पर मंहगाई भत्ता
लेवल-03 से 08 तक	3600 रूपये + उस पर महंगाई भत्ता	1800 रूपये + उस पर मंहगाई भत्ता
लेवल-01 एवं 02 में कार्यरत कर्मचारी जो 24200 रूपये या इससे अधिक वेतन ले रहे है।	3600 रूपये + उस पर महंगाई भत्ता	1800 रूपये + उस पर मंहगाई भत्ता
लेवल-01 एवं 02 कार्यरत कर्मचारी जो 24200 रूपये से कम वेतन प्राप्त कर रहे है।	1350 रूपये + उस पर महंगाई भत्ता	900 रूपये + उस पर महंगाई भत्ता

(14600/29 एवं 14600/42)

उन रेल सेवको को यह भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा जिन्हें सरकारी वाहन की सुविधा प्रदान की गई है। शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी सामान्य दरों से दुगुनी दरों पर इस भत्ते को लेते रहेंगे तथापि शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के मामले में परिवहन भत्ता किसी भी सूरत में 2250 रूपये प्रतिमाह जमा महंगाई भत्ते की ग्राहृय दर से कम नहीं होगा। लेवल-14 और उससे उपर के अधिकारी जो सरकारी कार के उपयोग के हकदार है उन्हे यह भत्ता तभी स्वीकृत किया जायेगा जब वे आवास और कार्यालय के बीच यात्रा के लिए सरकारी कार का उपयोग छोड दे। उन्हें 15750 रूपये प्रतिमाह की उच्चतर दर पर परिवहन भत्ता जमा मंहगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।

निम्नलिखित परिस्थितियों में परिवहन भत्ता की देयता :

- **अवकाश के दौरान** : उस कलैण्डर माह के लिये यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा जिसमें पूरे माह में छृटटी ली गयी हो।
- **विदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान** : विदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान यह भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा।
- **दौरे के दौरान** : यदि कोई रेल सेवक दौरे में होने के कारण पूरे कलैंडर माह मुख्यालय/तैनाती के स्थान से बाहर रहता है तो वह उस कलैंडर माह के लिये यात्रा भत्ते का/की पात्र नहीं होगा/होगी। बहरहाल, यदि मुख्यालय से बाहर रहने की यह अवधि पूरा महीना न हो तो यात्रा भत्ता पूरे माह प्रदान किया जायेगा।
- **ऐसे प्रशिक्षण के दौरान जिन्हें ड्युटी माना जाता है :** यदि प्रशिक्षण संस्थान जाने के लिये यात्रा सुविधा/यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता है तो ऐसे प्रशिक्षण के दौरान यह भत्ता दिया जाये।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान सरकारी दौरे पर, यह भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा यदि दौरे की अवधि पूरे कलैंडर माह को कवर करती हो।

- **<u>विदेश में प्रशिक्षण के दौरान</u>** : विदेश में प्रशिक्षण के दौरान भी कोई यात्रा भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा जब ऐसे प्रशिक्षण की अवधि पूरें कलैण्डर माह हो।
- **<u>विशेष पार्टियों के सदस्यों द्वारा सिटी के भीतर किन्तु मुख्यालय से 8 किलो मीटर से अधिक की दूरी में निरीक्षण/सर्वे ड्युटी करना अथवा मुख्यालय में या उसके बाहर लगातार फिल्ड डयुटी के दौरान :</u>** यात्रा भत्ता डयुटी के स्थान से निवास स्थान के बीच आने-जाने पर हुये व्यय की पूर्ति के लिये दिया जाता है। पूरें कलैंडर माह फील्ड/निरीक्षण/सर्वे ड्युटी अथवा दौरे के लिए यदि किसी को रोड माइलेज/दैनिक भत्ता अथवा मुफ्त वाहन प्राप्त दिया जाता हो तो वह उस कलैंडर माह के लिये यात्रा भत्ता का पात्र नहीं होगा/होगी।
- **<u>वेकेशन स्टाफ के लि</u>**ये : वेकेशन स्टाफ यात्रा भत्ते का पात्र है बशर्ते ऐसे स्टाफ को कोई मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान नहीं की गयी हो। बहरहाल, जब वेकेशन स्पैल, जिसमें सभी तरह की छुट्टिया शामिल है पूरे कलैंडर माह का हो तो यह भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा।
- **<u>निलंबन के दौरान :</u>** चूंकि निलम्बित रेल सेवक को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वह ऐसी स्थिति में निलंबन के दौरान यात्रा भत्ता का पात्र नहीं है जहां निलम्बन पूरे कलैण्डर माह के लिए हो। यदि निलंबन की अवधि को अतंतः ड्यूटी के रूप में देखा जाता है तब भी यह स्थिति लागू रहेगी। जहां निलम्बन की अवधि कलैंडर माह को आंशिक रूप से कवर करती हो, उसे माह के लिये देय यात्रा भत्ता आनुपातिक रूप से कम किया जाये।

4.	समेकित ट्रांसफर अनुदान	COMPOSITE TRANSFER GRANT

स्थानांतरण के ऐसे मामलों, जहां स्थानान्तरण 20 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर स्थित किसी अन्य स्टेशन पर किया गया हो में सीटीजी का भुगतान पिछले माह के मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से किया जायेगा। **इसके अलावा, सीटीजी की पात्रता तय करते समय एनपीए को मूल वेतन में शामिल नहीं किया जायेगा।** ऐसे स्थान पर स्थानान्तरण के मामलो में जहां स्थानान्तरण पुराने स्टेशन से 20 किलोमीटर से कम की दूरी पर हो और यह उसी शहर के भीतर हो, सीटीजी का एक तिहाई स्वीकार्य होगा बशर्ते की स्थानान्तरण में वास्तव में आवास बदला गया हो।

ऐसे मामलों में, जहां पति और पत्नि का स्थानान्तरण छः माह के भीतर हुआ हो परंतु यह स्पाउस के स्थानान्तरण के 60 दिनों के बाद हुआ हो, में बाद में स्थानान्तरित हुये स्पाउज को स्थानान्तरण पर सीटीजी का 50 प्रतिशत ही अनुमेय होगा। यदि दोनों स्थानान्तरणों के आदेश 60 दिनों के भीतर किए गए हो तो बाद में स्थानान्तरित हुये स्पाउज को कोई सीटीजी देय नहीं होगा। छः माह या इससे अधिक अवधि के बाद हुये स्थानान्तरण के मामले में सामान्य नियम लागू होंगें।

5.	**विशेष गाडी कन्ट्रोलर भत्ता**	**SPECIAL TRAIN CONTROLLERS ALLOWANCE**

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप सेक्शन कंट्रोलरों और मुख्य कंट्रोलरों को 5000 रूपये प्रतिमाह की दर से विशेष गाडी कंट्रोलर भत्ता दिनांक 01.07.2017 से देय है। प्रत्येक बार मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढने पर इस भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

6.	**वर्दी भत्ता**	**DRESS ALLOWANCE**

रेल कर्मचारियों को यथा स्वीकार्य भुगतान किये जा रहे वर्दी से सम्बन्धित भत्तो में किट अनुरक्षण भत्ता, जूत्ता भत्ता, वर्दी भत्ता और धुलाई भत्ता शामिल था। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोंग की सिफारिशों पर लिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप वर्दी से सम्बन्धित इन भत्तों को एक सिंगल पोशाक भत्ता में शामिल कर दिया गया है। ये आदेश दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी है। पोशाक भत्तें की राशि निम्नप्रकार है।

क्र.सं.	**कर्मचारियों की कोटि**	**दर (रूपये में)**
1.	रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के अधिकारी	20,000 प्रतिवर्ष
2.	रेलवे सुरक्षा बल में अधिकारी से नीचे के ओहदे के पदाधिकारी, भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टर	10,000 प्रतिवर्ष
3.	अन्य कोटि के कर्मचारी जिन्हे वर्दी दिया जाता है और जिन्हें नियमित रूप से पहनना अपेक्षित होता है जैसे कि ट्रैकमैन, भारतीय रेल के रनिंग कर्मचारी,स्टाफ कार ड्राईवर, एमटीएस, गैर-सरकारी विभागीय कैंटीनों के कैंटिन कर्मचारी आदि।	5,000 प्रतिवर्ष।
4.	नर्स	1800 प्रतिमाह।

पोशाक भत्ते की राशि वर्ष में एक बार जुलाई माह में सीधे पात्र कर्मचारियों के वेतन खाते में जमा की जायेगी। प्रत्येक बार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ जाने की स्थिति में पोशाक भत्ता की दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। वर्दी से सम्बन्धित अन्य भत्तों को समाप्त कर दिया गया है तथा बेसिक वर्दी उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी। ***(पीएस नम्बर 14600/64)***

7.	**रनिंग कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता**	**SPECIAL RUNNING STAFF ALLOWANCE (ADDITIONAL ALLOWANCE)**

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 01.07.2017 से निम्नलिखित रनिंग कर्मचारियों निम्नलिखित दरों पर अतिरिक्त भत्ता देय है।

1	Loco Pilot Mail/Express	लोको पायलेट मेल/एक्सप्रेस	2250 रूपये प्रतिमाह
2	Loco Pilot Passenger/ Motorman	लोको पायलेट यात्री/ मोटरमैन	1150 रूपये प्रतिमाह
3	Loco Pilot Goods	लोको पायलेट गुड्स	750 रूपये प्रतिमाह
4	Guard Mail/Express	गार्ड मेल/एक्सप्रेस	1150 रूपये प्रतिमाह
5	Sr.Passenger Guard	वरिष्ठ यात्री गार्ड	750 रूपये प्रतिमाह

इस भत्ते पर महंगाई भत्ता देय होगा। बहरहाल, पेंशन सम्बन्धित लाभो के लिए इसकी गणना नहीं की जाएगी।

8. सतत् परिचर भत्ता — CONSTANT ATTENDANCE ALLOWANCE

यह भत्ता उन पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाता है जो, केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन)नियमावली, 1939 के तहत, 100 प्रतिशत निःशक्तता (जहां एक व्यक्ति अपने दिन-प्रतिदिन के क्रिया-कलाप के लिये पूरी तरह से किसी और पर निर्भर है) के साथ निःशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त हुए है। दिनांक 01.07.2017 से सतत् परिचर भत्ता को मौजूदा 4500 रूपये से बढाकर प्रतिमाह 6750 रूपये कर दिया गया है।

8. ब्रेक डाउन भत्ता — BREAKDOWN ALLOWANCE

रनिंग शेडों और कैरिज एण्ड वैगन डिपों में नियुक्त अराजपित्रत रेल सेवक तथा पें मैट्रिक्स में लेवल-6(ग्रेड पे 4200) और अधिक तक के पदवाले पर्यवेक्षीय कर्मचारियों सहित राहत यान बिजली कर्मचारी जो ब्रेक डाउन ड्यूटी करने के लिये निर्धारित है (कैरज एण्ड वैगन, लोको रनिंग शेड या बिजली राहत यान के पर्यवेक्षक प्रभारी को छोडकर) को दिनांक 01.07.17 से निम्नलिखित दर से ब्रेक डाउन भत्ता अनुमत होगा।

क्र.सं.	कोटि	पे मैट्रिक्स में लेवल	ब्रेक डाउन भत्ते की राशि/माह
1.	हैल्पर/अन्य ग्रुप डी स्टाफ	लेवल-1/1800	270 रूपये प्रतिमाह
2.	तकनीशियन ग्रेड-।।।	लेवल-2/1900	405 रूपये प्रतिमाह
3.	तकनीशियन ग्रेड-।। तकनीशियन ग्रेड-।	लेवल-4/2400 लेवल-5/2800	540 रूपये प्रतिमाह
4.	वरि. तकनीशियन/कनिष्ठ इंजीनियर एवं उच्चतर वेतनमानों में कर्मचारी	लेवल-6/4200	675 रूपये प्रतिमाह

प्रत्येक बार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ जाने की स्थिमि में ब्रेक डाउन भत्ता की दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

9. राष्ट्रीय अवकाश भत्ता — National Holiday Allowance

राष्ट्रीय अवकाश के दिन ड्यूटी हेतु बुक किए गए अराजपत्रित कर्मचारियों को यह भत्ता निम्न शर्तो पर स्वीकृत किया जा सकता है।

कर्मचारी के रेस्ट पर होने पर भी नकद प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह आवश्यक नहीं कि नकद प्रतिपूर्ति हेतु उसके रेस्ट को रद्द किया जाए। रनिंग कर्मचारी जब हल्के काम पर हो या ड्यूटी की प्रतिक्षा में हो या विश्राम पूरा कर बुकिंग की प्रतीक्षा करता हो तो उसे यह भत्ता दिया जायेगा। शिफ्ट डयुटी करने वाले को ऐसे अवकाश के दिन आंशिक ड्युटी करने पर निर्धारित राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दिया जाएगा। नकद प्रतिपूर्ति केवल उन्हीं कर्मचारियों को देय होगी जो राजपत्रित अवकाशों का लाभ नहीं लेते तथा जिनकों राष्ट्रीय अवकाशों पर काम करना आवश्यक हो। राष्ट्रीय अवकाश भत्ता राजपत्रित अधिकारियों को देय नहीं है। दिनांक 01.07.2017 से राष्ट्रीय अवकाश भत्ते की दरें निम्नप्रकार से संशोधित कर दी गई है।

क्र.सं.	पे मैट्रिक्स में लेवल	भत्ते की दर प्रतिदिन
1.	1 और 2	384 रूपये
2.	3 से 5	477 रूपये
3.	6 से 8 (केवल गैर राजपत्रित कर्मचारी)	630 रूपये

- प्रत्येक बार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ जाने की स्थिति में राष्ट्रीय अवकाश भत्ता की दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

11.	पीसीओ भत्ता	**PCO ALLOWANCE**

उत्पादन नियंत्रण संगठन के कर्मचारियों का पीसीओ भत्ता दिनांक 01.07.2017 से निम्नप्रकार से संशोधित किया गया है। पे मेट्रिक्स में लेवल-7 में कार्यरत सीनियर सेक्शन इंजीनियर को मूल वेतन का 6 प्रतिशत एवं पे मेट्रिक्स में लेवल-6 तक के गैर-पर्यवेक्षकीय कर्मचारी और कनिष्ठ इंजीनियर को मूल वेतन का 12 प्रतिशत। किसी भी लाभ जैसे कि डीए, एचआरए, सीसीए, पेंशन, उपदान, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए पीसीओ भत्ते की गणना नहीं की जायेगी।

12.	**मुख्य संरक्षा अधिकारी/संरक्षा अधिकारियों को विशेष भत्ता**	**SPECIAL ALLOWANCE TO CHIEF SAFETY OFFICER/SAFETY OFFICERS**

वर्कशॉप कैडर के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों (चाहे वे वर्कशॉप या पीसीओं में कार्य कर रहें हो) को जब मुख्य संरक्षा अधिकारी/संरक्षा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति के रूप में तैनात किया जाता है तो उन्हें मूल वेतन के 6 प्रतिशत की दर पर विशेष भत्ता दिया जाये।

13.	**कोल पायलट भत्ता :**	**COAL PILOT ALLOWANCE**

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के पणिामस्वरूप, परिवहन विभाग के शंटमैन व अन्य कर्मचारियों जो शंटिग ड्युटी के लिए कोयले की खानों में कोल पायलटों के साथ काम करते है, को देय कोल पायलट भत्ता में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। **ये आदेश 01 जुलाई 2017 से प्रभावी है।**

	मौजूदा दरें	संशोधित दरें
प्रथम ट्रिप के लिए	45 रूपये	102 रूपये
प्रत्येक उत्तरवर्ती ट्रिप के लिए	15 रूपये	34 रूपये

14.	दैनिक भत्ता	**DAILY ALLOWANCE**

रेलवे कर्मचारियों के दौरे पर यथा अनुमये दैनिक भत्तों की दरों में दिनांक 01.07.2017 से निम्नप्रकार संशोधन किया गया है।

लेवल	पात्रता
लेवल-14 और उससे उपर	1200 रूपये
लेवल-12 एवं 13	1000 रूपये
लेवल-09 से 11	900 रूपये
लेवल-6 से 08	800 रूपये
लेवल-5 और इससे नीचे	500 रूपये

हर बार जब महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी तो यह दैनिक भत्ते की दरें 25 प्रतिशत बढ जाएगी।

15.	***ट्रैक मेंटेनरों को विशेष लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेट भत्ता***	**SPECIAL LC GATE ALLOWANCE TO TRACK MAINTAINER**

किसी भी इंजीनियरिंग की गेट की मैनिंग के लिये तैनात ट्रैक मैंटनरों को विशेष लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेट भत्ता को सातवें वेतन आयोग के दिनांक 01.07.2017 से संशोधित कर दिया गया है। इस भत्ते की दर पे मैट्रिक्स में लेवल-8 तक 1000 रूपये प्रतिमाह और लेवल-9 और इससे उपर में 1200 रूपये प्रतिमाह होगी। जब भी डीए में 50 प्रतिशत की बढोतरी होगी इस भत्ते में 25 प्रतिशत की बढोतरी हो जायेगी।

16.	**कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रांट (सीटीजी)**	

1. स्थानांतरण के ऐसे मामलों, जहां स्थानान्तरण 20 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर स्थित किसी अन्य स्टेशन पर किया गया हो में सीटीजी का भुगतान पिछले माह के मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से किया जायेगा। इसके अलावा, सीटीजी की पात्रता तय करते समय एनपीए को मूल वेतन में शामिल नहीं किया जायेगा।
2. ऐसे स्थान पर स्थानान्तरण के मामलो में जहां स्थानान्तरण पुराने स्टेशन से 20 किलोमीटर से कम की दूरी पर हो और यह उसी शहर के भीतर हो, सीटीजी का एक तिहाई स्वीकार्य होगा बशर्ते की स्थानान्तरण में वास्तव में आवास बदला गया हो।
3. ऐसे मामलों, जहां पति और पत्नि का स्थानान्तरण छः माह के भीतर हुआ हो परंतु यह स्पाउज के स्थानान्तरण के 60 दिनों के बाद हुआ हो, में बाद में स्थानान्तरित हुये स्पाउज को स्थानान्तरण पर सीटीजी का 50 प्रतिशत ही अनुमेय होगा। यदि दोनों स्थानान्तरणों के आदेश 60 दिनों के भीतर किए गए हो तो बाद में स्थानान्तरित हुये स्पाउज को कोई सीटीजी देय नहीं होगा। छः माह या इससे अधिक अवधि के बाद हुये स्थानान्तरण के मामले में मौजूदा प्रावधान लागू रहेंगे।

17.	***दिव्यांग महिलाओं के लिये बच्चों की देखभाल हेतु विशेष भत्ता :***

दिव्यांग महिलाओं को विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उनके बच्चे छोटे हो और दिव्यांग हो, अतिरिक्त लाभ प्रदान करने हेतु सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति निम्नलिखित अनुदेश जारी करते है।

दिव्यांग महिलाओं को बच्चे की देखभाल हेतु विशेष भत्ते के रूप में प्रतिमाह 3000 रूपये का भुगतान किया जाएगा। यह भत्ता बच्चे के जन्म से उसके दो वर्ष का होने तक देय होगा। यह अधिकतम दो जीवित बच्चों तक देय होगा। दिव्यांग का अर्थ न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाला व्यक्ति। उपयुर्क्त सीमा, संशोधित वेतन संरचना में महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत तक की वृद्धि होने पर स्वतः ही 25 प्रतिशत की बढ जाएगी। ये आदेश दिनांक 01.07.2017 से लागू होंगे।

18.	बाल शिक्षा भत्ता :	CHILDREN EDUCATIONAL ALLOWANCE

दिनांक 01.07.2017 से बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति हेतु नियत की गई राशि 2250 रूपये प्रतिमाह होगी। छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति हेतु नियत की गई राशि 6750 रूपये प्रतिमाह होगी। यदि पति एवं पत्नि दोनों सरकारी कर्मचारी है, तो उनमें से केवल एक ही बाल शिक्षा भत्ते के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकता है। संशोधित वेतन संरचना में प्रत्येक बार मंहगाई भत्ते के 50 प्रतिशत होने पर उपर्युक्त सीमाओं में स्वतः ही 25 प्रतिशत की वृद्वि हो जाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए यह भत्ता दोगुना होगा तथा अधिकतम सीमा 54000 रूपये है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात वर्ष में एक बार प्रतिपूर्ति की जाएगी। बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए उस संस्था, जहां सरकारी कर्मचारी का बच्चा पढता है के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र लेना पर्याप्त होगा। इस प्रमाणपत्र में यह पुष्टि की जानी चाहिए कि पिछले अकादमिक वर्ष के दौरान उस बच्चे ने उस विद्यालय में अध्ययन किया है। छात्रावास सब्सिडी के लिए संस्था के प्रमुख से एक ऐसा ही प्रमाण पत्र लेना पर्याप्त होगा जिसमें अतिरिक्त रूप इसका उल्लेख करना अपेक्षित होगा कि इस प्रमण पत्र में सरकारी कर्मचारी द्वारा आवासीय परिसर में आवास और भोजन के लिए खर्च की गई राशि का उल्लेख किया गया हो। उल्लेखित व्यय की राशि अथवा उपर यथाउल्लेखित सीमा जो भी कम हो का भुगतान कर्मचारी को किया जायेगा।

19.	रात्रि ड्यूटी भत्ता	NIGHT DUTY ALLOWANCE

यह भत्ता विनिर्दिष्ट कर्मचारियों को रात्रि में 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वास्तविक रूप से ड्यूटी करने के लिए दिया जाता है। प्रत्येक घंटे की अवधि के लिए 10 मिनट के हिसाब से इसे दिया जाता है। यह भत्ता केवल निम्नलिखित अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है।

सभी ग्रुप सी और डी कर्मचारी जो गहन, अविरामी और आवश्यक रूप से विरामी में वर्गीकृत हैं। सभी ग्रुप सी और डी कर्मचारी जो वर्कशाप कर्मचारी और पर्यवेक्षण कम्र्चारी जो लगातर शिफ्ट ड्यूटी पर काम कर रहे हो। ग्रुप सी कर्मचारी जो गोपनीय हैसियत से काम कर रहे हो। सभी गैर राजपत्रित अधिकारी जो ग्रेड वेतन 4600 और अधिक पा रहे हों वे 4600 रूपये पर देंय भत्ता पायेंगे। रनिंग कर्मचारी जिनको मुख्यालय से दूर रात्रि ड्यूटी पर लगाया गया है उन दरों पर जो कि मुख्यालय पर लागू होते है। 01 जुलाई 2017 से रात्रि ड्यूटी भत्ते की दर (मूल वेतन+मंहगाई भत्ता/200) के समान होगी।

20.	प्रेक्टिस बंदी भत्ता	NON- PRACTISING ALLOWANCE

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर आईआरएमएस अधिकारियों को मूल वेतन का 20 प्रतिशत की दर से एक समान रूप से किया जाएगा बशर्ते कि मूल वेतन और एनपीए का योग 2,37,500 से अधिक न हो। निम्नलिखित शर्तो के अनुसार इन आदेशों के अंतर्गतत एनपीए प्रदान

किया जाएगा। संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन का अर्थ पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में प्राप्त वेतन होगा। एनपीए को महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों की गणना के प्रयोजन से वेतन के रूप में माना जाता रहेगा जिसमें सेवानिवृत्ति लाभ की गणना सहित वे भत्तें शामिल नहीं होंगे जिसके संबंध में अन्यथा प्रदत्त लागू आदेश शामिल नहीं होंगे। इन आदेशें के अंतर्गत महंगाई भत्ते का अर्थ सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के संबंधित वेतन संरचना में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा स्वीकृत महंगाई भत्ता होगा। एनपीए उन चिकित्सीय पदों तक सीमित रहेगा जिसके लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अथवा दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं को अनिवार्य अर्हता के रूप में निर्धारित किया गया हो। अभी तक निम्नलिखित शर्तें भी पूरी की जाएंगी।

पद चिकित्सीय है, पद पूर्णकालिक है, प्राइवेट प्रैक्टिस का काफी अवसर है, और सार्वजनिक हित में प्राइवेट प्रैक्टिस को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

एनपीए की संशोधित दरें दिनांक 01 जुलाई 2017 से लागू होंगी।

नोट : महंगाई भत्ते, परिवहन भत्ते, दैनिक भत्ते तथा सेवानिवृत्ति लाभों सहित अन्य भत्तों की गणना करते समय एनपीए को वेतन के रूप में माना जाएगा।

21.	**नर्सिंग भत्ता**	**NURSING ALLOWANCE**

रेलवे अस्पताल में कार्यरत और भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी नर्सिंग कर्मचारियों की सभी कोटियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 7200 रूपये प्रतिमाह की दर से नर्सिंग भत्ता दिया जाता है। नर्सिंग भत्ते को वेतन के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा। नर्सिंग भत्ते की यह दर दिनांक 01.07.2017 से लागू होंगी। संशोधित वेतनमान में देय महंगाई भत्ता बढकर 50 प्रतिशत होने पर प्रत्येक बार नर्सिंग भत्ते की दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

22.	**विशेष (ड्यूटी) भत्ता**	**SPECIAL DUTY ALLOWANCE**

पूर्वोत्तर क्षेत्र और लद्दाख में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर विशेष ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। कठिन स्थान भत्तों के साथ-साथ विशेष भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। यदि कर्मचारी छूट्टी/प्रशिक्षण/दौरा आदि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र और लद्दाख से बाहर है तो पूर्ण कैंलेडर महीने में छुट्टी/प्रशिक्षण/दौरा आदि की अवधि के दौरान विशेष ड्यूटी भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। निलंबन के दौरान और ज्वाइनिंग के समय यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

23.	परियोजना भत्ता और प्रतिपूरक (निमार्ण/सर्वे भत्ता)	Project Allowance & Compensatory(Construction/Survey) Allowance

यह भत्ता केवल बडी परियोजनाओं के लिये दिया जाता है। यदि कोई प्रोजेक्ट पूरा किया जाता हो और विशाल निमार्ण संगठन की स्थापना की आवश्यकता हो और उसके अनेक वर्षो तक चलने की आशा हो तो यह भत्ता किसी हद तक आवास, स्कूल, बाजार, डिस्पेन्सरी आदि सुविधाओं की कमी की प्रतिपूर्ति कर सकें, यही इसका प्रयोजन है। परियोजना क्षेत्र के बारह दो महीने से अधिक की अवधि के स्थानानतरण के दौरान या दो महीने से अधिक की अवधि की छुट्टी के दौरान यह भत्ता नहीं दिया जाता।

<u>परियोजना भत्ता :</u>

पे मैट्रिक्स में लेवल	सेल का नाम	प्रति माह दर (रूपय में)
लेवल-9 और उससे ऊपर	आर3एच2	3400
लेवल-8 और उससे नीचे	आर3एच2	2700

<u>क्षतिपूर्ति (निमार्ण/सर्वेक्षण) भत्ता :</u>

पे मैट्रिक्स में लेवल	सेल का नाम	प्रति माह दर (रूपय में)
लेवल-9 और उससे ऊपर	आर3एच2	3400
लेवल-8 और उससे नीचे	आर3एच2	2700

जब भी संशोधित वेतन संरचना में देय महंगाई भत्तें में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी तो इन दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।

<u>प्रतिनियुक्ति ड्युटी भत्ता :</u>

जब किसी रेल सेवक को अस्थाई आधार पर अपने सामान्य नियुक्ति स्थान से बाहर अन्य किसी विभाग या राज्य सरकार के कार्यालय में जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है तो वह निम्नलिखित प्रतिनियुक्ति डयुटी भत्ते का हकदार होगा जो दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी है:

जब प्रतिनियुक्ति पर समान स्टेशन पर नियुक्त किया जाताा है तो उसे मूल वेतन का 5 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा जो अधिकतम रूपये 4500 रूपये प्रतिमाह हो सकता है। अन्य सभी मामलों में मूल वेतन का 10 प्रतिशत जो अधिकतम 9000 रूपये प्रतिमाह हो सकता है। मूल वेतन+प्रतिनयुक्ति (ड्यूटी) भत्ता 2,25,000 रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

रनिंग स्टाफ को देय भत्ते :

24. किलोमीटर भत्ताः

यह भत्ता रनिंग स्टाफ को निर्धारित दरों पर रनिंग ड्युटी के निष्पादन हेतु दिया जाता है। किलोमीटरेज की गणना वर्किंग टाइम टेबल में दी गई दूरी के अनुसार की जाएगी।यह दरें विभिन्न रनिंग कर्मचारियों के लिये अलग-अलग होती है और प्रति 100 किलोमीटर के हिसाब से गणना की जाती है। शंटर तथा अन्य रनिंग स्टाफ जो शंटिग इंजिन पर कार्य करते है उन्हें ड्यूटी शुरू होने के हस्ताक्षर से ड्युटी समाप्त होने के हस्ताक्षर तक का समय तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से किलोमीटर भत्ता का भुगतान किया जाता है।

25. किलोमीटर दूरी के एवज में भत्ता

जब रनिंग कर्मचारी को गैर-रनिंग ड्युटी पर लगाया जाता है या नियोजित किये जाते है तो वे ऐसी गैर रनिंग ड्यूटी जिनका किया जाना उनके लिए अपेक्षित होने के लिए नीचे दिये गये अनुसार प्रत्येक कलैंडर दिन के लिए किलोमीटर भत्ते के भुगतान के हकदार होंगे :

जब ऐसी गैर रनिंग ड्युटी रनिंग कर्मचारी द्वारा अपने मुख्यालय पर की जाती है तो उन्हें रनिंग भत्ते के वेतन तत्व का, अर्थात् एक दिन के लिए लागू मूल वेतन का 30 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। जब रनिंग कर्मचारियों द्वारा ऐसी गैर रनिंग ड्युटी बाह्य स्टेशन पर की जाती है तो उन्हें निम्नलिखित दरों पर किलोमीटर भत्ते के बदले भत्ते का भुगतान किया जायेगा। परन्तु शर्त यह है कि यदि एक ही कैलेण्डर दिन के दौरान कोई रनिंग कर्मचारी रनिंग और गैर-रनिंग दोनों ड्युटियों में लगा हो और यदि गैर-रनिंग ड्युटी चार घण्टे से अधिक की अवधि की हो तो वह पूरे किये गये ट्रिप के लिए किलोमीटर भत्ता और की गयी गैर-रनिंग ड्युटी के लिए पूरा किलोमीटर भत्ते के बदले भत्ता प्राप्त करेगा।

किलोमीटर भत्ते के बदले भत्ता बाहरी स्टेशनों पर पदोन्नति/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय मध्यवर्ती रविवारों/अवकाशों के लिए भी देय होगा। जब रनिंग कर्मचारी अपने मुख्यालय से बाहर किसी स्थान पर पुनश्चर्या और पदोन्नति पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण विधालयों में जाते है जहां उन्हें निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाता है तो वे सामान्य दरों की आधी दर पर किलोमीटर के भत्ते के दले भत्ते के भुगतान के हकदार होंगे।

26. पावर नियंत्रण्क/क्रू नियंत्रकों की ड्यूटी निष्पादित करने के लिए लगाए गए चालकों के भत्ते

पावर नियंत्रकों/क्रू नियंत्रकों को ड्युटी को निष्पादित करने के लिए लगाए गए चालकों को 120 किलोमीटर के किलोमीटर भत्ते के बदले में भत्ता उसकी लागू दरों पर अनुमेय होगा। पावर नियंत्रकों/कू नियंत्रकों की ड्यूटी निष्पादित करने के लिए लगाए गए चालकों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अथवा विशेष वेतन स्वीकार्य नहीं होगा। अन्य कोई विशेष भत्ता जब तक कि रेलवे बोर्ड द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत नहीं किया गया हो, स्वीकार्य नहीं होगा। पावर नियंत्रकों/क्रू नियंत्रकों की ड्युटियों का निष्पादन करने हेतु लगाए गए चिकित्सीय दृष्टि से विकोटिकृत ड्राईवर रनिंग कर्मचारी नहीं रह जाते और इसलिए वे रनिंग कर्मचारियों को अनुमेय किसी भी विशिष्ट लाभ के पात्र नहीं है। अतः इस प्रकार के मामले में किलोमीटर के बदले भत्ता या सेवा निवृत्ति लाभों की गणना हेतु मूल वेतन में वेतन तत्व शामिल करने का लाभ उन्हें अनुमेय नहीं है।

27.	विश्राम भंग होने का भत्ता

ऐसे रनिंग कर्मचारियों को जिन्हें निम्नलिखित परिस्थितियों में रनिंग ड्युटी पर लगाया जाता है विश्राम भंग भत्ता प्रदान किया जायेगा :

जब रनिंग स्टाफ एक गाडी को बाहृय स्टेशन लेकर जाता है और मुख्यालय लौटता है, को रनिंग ड्युटी हेतु नियुक्त किया जाता हैः मुख्यालय पर 16 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व जबकि आराम से तुरन्त पूर्व ड्युटी की अवधि 8 घंटे या अधिक हो और मुख्यालय पर 12 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व जबकि आराम से तुरन्त पूर्व ड्युटी की अवधि 8 घंटे से कम हो।

जब रनिंग स्टाफ जैसे शंटर और उपनगरीय क्षेत्रों में सेवाए देने वाला स्टाफ जो दैनिक आराम मुख्यालय पर करते हैं उन्हें रनिंग ड्यूटी हेतु नियुक्त किया जाता है : 12 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व जबकि आराम से पूर्व ड्यूटी की कुल अवधि 8 घंटे या अधिक हो और 8 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व जबकि आराम से तुरन्त पूर्व ड्युटी की अवधि 8 घंटे से कम हो।

यह भत्ता कार्य घंटे नियमों के अंतर्गत समयोपरि भत्ते की रूप में देय होगा। निर्धारित आराम के घंटो में होने वाली कमी पर प्रति घंटे हेतु 2 घंटे की दर से दिया जाएगा। आधे घण्टे से कम अवधि की उपेक्षा की जायेगी व आधे घण्टे व अधि की प्रत्येक अविध को एक घण्टा माना जायेगा।

28.	रनिंग रूम सुविधाओं के एवज में भत्ता

उन आउट स्टेशनों पर जहां रनिंग कक्ष उपलब्ध नहीं कराये जाते, रनिंग कर्मचारियों को बाहृय स्टेशन पर ये साईनिंग ऑन के समय से हिसाब लागर प्रति 24 घंटे या उसके भाग के लिए निश्चित दों पर रनिंग कक्ष सुविधाओं के बदले भत्ता नामक प्रतिकर भत्ता दिया जाए बशर्ते कि गाडी आगमन और गाडी प्रस्थान समयों के बीच विश्राम की अवधि चार घण्टे से अधिक हो। यह भत्ता मार्गवर्ती स्टेशनों पर भी अनुमत होगा भले ही गाडी वहां समाप्त होती हो अथवा नहीं होती हो। ऐसे रनिंग कक्षो में जहां रसोइये उपलब्ध नहीं कराये जाते है यह भत्ता सामान्य दरों के आधे पर अनुमत होगा।

29.	बाहरी स्टेशन पर रोके जाने का भत्ता

साईनिंग ऑफ के पश्चात बाहरी स्टेशन पर रनिंग स्टाफ को 16 घंटे से अधिक रोका जाता है तो वे इस भत्ते के हकदार होंगे। यह भत्ता साईनिंग ऑफ के समय से 16 घंटे बीत जाने के पश्चात प्रत्येक 24 घंटे के लिए 70 किलोमीटर की दर से दिया जाएगा। मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर के स्टेशन बाहरी स्टेशन माने जाएंगे।

30.	बाहरी स्टेशन पर रिलीविंग भत्ता

यह भत्ता उन रनिंग कर्मचारियों को दिया जाएगा जो या तो रनिंग ड्यूटी पर या किसी दूसरी स्थिर ड्युटी पर अपने मुख्यालय से बाहर के स्टेशनों पर अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए लगाए जाते

हैं। प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित दर पर यह भत्ता दिया जाएगा। इस भत्ते को इस प्रकार लगाया जाता है।

जब रनिंग स्टाफ को बाहरी स्टेशन पर किसी ऊंचे पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए भेजा जाता है तो उन्हें 14 दिन का भत्ता दिया जाता है। जब रनिंग स्टाफ को उसी पद पर बाहरी स्टेशन पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए भेजा जाता है तो अधिकतम 2 महीने का भत्ता दिया जाता है। उस स्टेशन तक जाने और लौटने की यात्रा को ड्युटी मानते हुए या स्पेअर या रनिंग मानते हुए भत्ता दिया जाएगा। 30 दिन के लिये यह भुगतान पदोन्नति मानते हुए वेतन-निर्धारण के सामान्य नियमों के अनुसार होगा।

31.	दुर्घटना भत्ता

वह रनिंग स्टाफ जिसे किसी भी स्टेशन पर मुख्यालय से बाहर दुर्घटना के कारण आठ घंटे से अधिक रोका जाता है उन्हें दुर्घटना भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बाह्या स्टेशन (ठहराव) भत्ते के नियमों में निर्धारित दर के अनुसार इसकी गणना ठहराव का समय आरम्भ होने से प्रत्येक 24 घंटे या इसके अंश के आधार पर की जाएगी। यदि ठहराव की अवधि 8 घंटे से कम होती है तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, परन्तु वे घंटे जिनके लिए स्टाफ को रोका गया है, उन्हें कार्य घंटो के रूप में गिना जाएगा।

32.	न्यूनतम किलोमीटर भत्ते की गांरटी

प्रत्येक रेलवे ऐसे सेक्शन और परिस्थितियों को चिन्हित करेगा जो रनिंग स्टाफ द्वारा निर्धारित कार्य घंटो के दौरान पर्याप्त किलोमीटरेज अर्जित करने में सक्षम न हो। इन चिन्हित सेक्शनों और परिस्थितियों हेतु रनिंग स्टाफ को निर्धारित कार्य घंटो हेतु 120 किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा।

33.	प्रतीक्षा ड्यूटी भत्ता :

रनिंग कर्मचारियों को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटे तक दिया जाएगा, जब वे रोस्टर के हिसाब से प्रतीक्षा या स्टेंडबाई ड्युटी पर हों, ट्रेन रद्द होने या ड्युटी पर आने के बाद बुकिंग रद्द होने पर स्टेशन ड्युटी और रोके जाने का समय, प्रशासनिक हित में रोक जाने पर जैसे राष्ट्रपति स्पेशल और रिलीफ ट्रेन आदि, राष्ट्रपति स्पेशल के लिए स्कीम में प्रतिक्षा।

34.	मार्ग सिखने का किलोमीटर भत्ता

जब रनिंग कर्मचारी मार्ग-सिख रहा हो तो उसे वास्तविक जितने किलोमीटर चला हो, उसका भत्ता मिलेगा। अप और डाउन दिशाओं में तीन ट्रिप से अधि में मार्ग सीखने का भत्ता नहीं मिलेगा। मार्ग सीखते समय प्रोत्साहन योजनायें, घाट सेक्शन, न्यूनतम किलोमीटर भत्ता आदि का लाभ नहीं मिलता।

35.	ड्युटी पर यात्री की तरह यात्रा :

जब ट्रेन चलाने के पहले या बाद, या बाहर के स्टेशन पर ट्रेन चलाने के लिए बुलाये जाने पर उसके रद्द हो जाने के कारण उसे लौटना पडे तो यह माना जाएगा कि वह हल्की ड्यूटी कर रहा था और उसे वास्तविक किलोमीटर यात्रा का आधा मिलेगा। जिन गाडियों में क्रू का दुहरा सेट चलता है उनमें रेस्ट-वान में चलने वाले स्पेअर क्रू को ड्यूटी वाले कर्मचारियों का आधा किलोमीटर भत्ता मिलेगा।

36.	लीव माईलेज भत्ता

जव रनिंग स्टाफ छुट्टी पर रहता हो उसे अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए छुट्टी माइलेज भत्ता दिया जाएगा। छुट्टी माईलेज अलाउन्स की गणना निम्नानुसार की जाएगी।

छुट्टी माईलेज उलाउन्स : $\frac{\text{मूल वेतन का 30 प्रतिशत}}{\text{महीने के दिनों की संख्या}}$ X ली गई छुट्टी

3.	अग्रिम	ADVANCE

1.	गृह निमार्ण अग्रिम	HOUSE BUILDING ADVANCE

प्रयोजन :

गृह निमार्ण अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजन में से एक प्रयोजन के लिए रेल सेवक को स्वीकार्य है।

- कर्मचारी या कर्मचारी और कर्मचारी की पत्नि/पति के संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले प्लॉट पर नए मकान का निमार्ण करने।
- प्लॉट खरीदना और उस पर मकान का निमार्ण करना।
- सहकारी योजनाओं के तहत प्लॉट खरीदना और उस प्लॉट पर मकान/फ्लैट का निमार्ण करना या सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की सदस्यता के माध्यम से मकान खरीदना।
- दिल्ली, बंगलौर, यूपी, लखनऊ आदि की स्व-वित्त पोषण योजनाओं के तहत मकान खरीदना/निमार्ण करना।
- आवास बोर्डो, विकास प्राधिकरणों और अन्य सांविधिक या अर्ध-सरकारी निकायों और निजी पक्षकारों अर्थात् पंजीकृत्त बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स, हाउस बिल्डिग सोसाईटी आदि से नए निर्मित गृह/फ्लैट की सीधी खरीद लेकिन निजी व्यक्तियों से नहीं।
- कर्मचारी या कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से पति या पत्नि के स्वामित्वाधीन मौजूदा गृह में आवास परिसर का विस्तार/मौजूदा संरचना की कुल लागत(भूमि की लागत को छोडकर) और प्रस्तावित संवर्धन इन नियमों के तहत निर्धारित लागत सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये।
- कतिपय शर्तो के अध्यधीन किसी सरकार अथवा हडको अथवा निजी स्रोतो से लिए गए ऋण अथवा अग्रिम की चुकौती चाहे निमार्ण कार्य शुरू हो गया हो।
- वर्तमान कर्मचारी जिन्होंने बैंको और अन्य वित्तीय संस्थाओं से गृह ऋण लिया है उनको वर्तमान शर्तो को पूरा करने के अध्यधीन इस स्कीम में आने की अनुमति है।
- किसी रिहायशी कॉलोनी में दूकान-सह-रिहायशी प्लॉट के लिए निर्धारित प्लॉट पर ही भवन के रिहायशी भाग का निमार्ण करने जो निर्धारित लागत सीमा में हो।

पात्रता :

- सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी।
- न्यूनतम पांच साल की निरन्तर सेवा वाले सभी अन्य कर्मचारी बशर्ते कि वे किसी राज्य सरकार के अधीन कोई स्थायी नियुक्ति न रखते हो और स्वीकृति अधिकारी मकान के बनाने अथवा मॉरगेज किए जाने तक उनके सेवा में बने रहने के बारे में आश्वस्त है।

- केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य/कम्पनी/ऐसाशिएशन/निगमित अथवा अनिगिमत व्यक्तियों की निकाय, जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और सरकार अथवा निजी निकाय द्वारा नियंत्रित न किये जाने वाली स्वायत्तशासी निकाय द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वामित्व मे है अथवा नियंत्रित है।
- संघ राज क्षेत्रों और पूर्वोत्तर फ्रंटियर एजेंसी के कार्मिक।
- आकाशवाणी का स्टाफ/कलाकार जो ऊपर (2) में विनिर्दिशष्ट शर्तो को पूरा करते हैं और विद्यमान नियमों के अनुसार वर्धित आयु में छूट तक दीर्घ अवधि कॉन्ट्रेक्ट पर नियुक्त हैं।
- मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 द्वारा शासित केन्द्र सरकार के कर्मचारी।
- अन्य विभाग अथवा विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति केन्द्र सरकार के कर्मचारी। ऐसे मामलों का निपटान मूल विभाग के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाना है।
- पूर्व कर्मचारी और केन्द्र सरकार के निलम्बित कर्मचारियों के संबंध में पात्रता की शर्तो के विद्यमान नियम अपरिवर्तित हैं।

  टिप्पणी : उन मामलों में जहां पति-पत्नि दोनो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, दोनों ही गृह निमार्ण अग्रिम के लिए पात्र हैं, ऐसा अग्रिम संयुक्त रूप से/पृथक रूप से दोनों के लिए अनुमत्य होगा।

लागत की अधिकतम सीमा शर्ते :

- निर्मित किए जाने वाले/खरीदे जाने वाले मकान की लागत (भू-खण्ड की लागत के सिवाय) अधिकतम 1 करोड रूपये मात्र के अध्यधीन कर्मचारी के मूल वेतन के 139 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत मामलों में यदि प्रशासनिक मंत्रालय मामले के पहलुओं से संतुष्ट है तो विभागाध्यक्ष द्वारा लागत की अधिकतम सीमा में अधिकतम 25 प्रतिशत तक राहत दी जा सकती है।

अग्रिम धनराशि :

- सरकारी कर्मचारी को उसके सम्पूर्ण कार्यकाल में केवल एक अग्रिम की स्वीकृति दी जाएगी।
- अग्रिम की अधिकतम राशि निम्नवत होगी :
  - 34 महीने का मूल वेतन जिसकी अधिकतम सीमा केवल 25 लाख रूपये अथवा मकान/फ्लेट की लागत अथवा चुकौती क्षमता के अनुसार धनराशि जो भी नए गृह /फ्लेट के निव-निमार्ण/खरीद के लिए कम हो होगी।
  - मौजूदा आवास के विस्तार के लिए, गृह निमार्ण अग्रिम की राशि 34 महीने के मूल वेतन तक सीमित होगी जिसकी अधिकतम सीमा केवल 10 लाख रूपये अथवा विस्तार की लागत अथवा चुकौती क्षमता के अनुसार धनराशि जो भी कम हो ,होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के मामलों में अग्रिम की राशि भूमि की वास्तविक लागत तथा आवास के निमार्ण अथवा रह रहे आवास के विस्तार की लागत के 80 प्रतिशत तक सीमित होगी। इसमें राहत दी जा सकती है और 100 प्रतिशत स्वीकृति दी जा सकती है यदि विभागाध्यक्ष प्रमाणित करता है कि संबंधित ग्रामीण क्षेत्र कस्बे या शहर की परिधि के भीतर आता है।

चुकौती क्षमता :

स्वीकार्य ऋण राशि की गणना के प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार कर्मचारी चुकौती क्षमता का आकलन इस प्रकार किया जायेगा।

1.	कर्मचारी के 20 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होने के मामले में	मूल वेतन का 40 प्रतिशत
2.	कर्मचारी के 10 वर्ष पश्चात किन्तु 20 वर्ष से कम समय में सेवानिवृत्त होने के मामले में।	मूल वेतन का 40 प्रतिशत, डीसीआरजी का 65 प्रतिशत को भी समायोजित किया जा सकता है।
3.	कर्मचारी के 10 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने के मामले में।	मूल वेतन के 50 प्रतिशत, डीसीआरजी का 75 प्रतिशत को सामायोजित किया जा सकता है।

ब्याज की स्वीकार्य दर तथा गृह निमार्ण अग्रिम की वसुली की पद्धति :

- वित्त वर्ष 2017-18 से गृह निमार्ण अग्रिम पर ब्याज की दर 8.50 प्रतिशत होगी। ब्याज दर की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष में की जायेगी तथा बदली गई ब्याज की दर को वित्त वर्ष के शुरू में वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके अधिसूचित किया जायेगा।
- गृह निमार्ण अग्रिम की वसूली की पद्धति मूलधन वसूली की मौजूदा पद्धति के अनुसार जारी रहेगी जो पहले 15 वर्षो में वसूल किया जायेगा जिसकी किस्ते 180 मासिक किस्तो से अधिक नहीं होगी और उसके बाद अगले पांच वर्षो में ब्याज वसूल किया जायेगा जिसकी अवधि 60 मासिक किस्तो से अधिक नहीं होगी। पहली किस्त के भुगतान की तारीख से अग्रिम पर साधारण ब्याज लिया जायेगा।
- ब्याज दर में परिवर्तन की स्थिति में कर्मचारी द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षो में लिए गए गृह निमार्ण अग्रिम की दूसरी अथवा बाद की खेप/किस्तों के मामले में, ब्याज की दर उस वर्ष की होगी जिस वर्ष गृह निमार्ण अग्रिम को मंजूरी दी गई थी।

  टिप्पणी : गृह निमार्ण अग्रिम की मंजूरी के दौरान निर्धारित दर से उपर 2.5 प्रतिशत पर उच्च ब्याज दर को जोडने का नियम, जैसा की नीचे दिये गया है, वापस ले लिया गया है। ‘‘ स्वीकृति में इस शर्त के साथ अनुसूचित दरों से 2.5 प्रतिशत अधिक ब्याज दर की व्यवस्था होनी चाहिये कि राशि की वसूली से सम्बन्धित शर्तो सहित स्वीकृति से सम्बन्ध शर्तो को सक्षम प्राधिकारी की संतृष्टि के अनुसार पूर्णतया पूरा किया जाता है तो 2.5 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज दर में छूट दी जाएगी।’’

वितरण :

- जैसे ही आवेदक निर्धारित प्रपत्र में एक करार करता है, निर्मित घर की खरीद के लिए अग्रिम का भुगतान एकमुश्त राशि में किया जायेगा। कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अग्रिम की निकासी के तीन महीनों के भीतर मकान खरीदे और सरकार को मॉगेज करें।

- नए फ्लैट की खरीद/निमार्ण का अग्रिम विभाग प्रमुख के विवेक पर एकमुश्त या सुविधाजनक किश्तों में भुगतान किया जा सकता है। कर्मचारी को अग्रिम/अग्रिम की पहली किश्त का भुगतान किए जाने से पहले निर्धारित फार्म में करार करना चाहिए। कर्मचारी द्वारा निकाली गई राशि का उपयोग एक महीने के भीतर फ्लैट की खरीद/निमार्ण के लिए किया जाना चाहिये।
- आवास परिसर आदि के निमार्ण/विस्तार के लिए अग्रिम प्रत्येक 50 प्रतिशत की दो किश्तों में देय होगा। पहली किश्त का भुगतान प्लॉट और प्रस्तावित घर/मौजूदा मकान के मॉगेज के बाद और शेष राशि का भुगतान निमार्ण कार्य प्लिंथ स्तर तक पहुंचने के बाद किया जायेगा।
- घर की उपरी मंजिल पर किए जाने वाले विस्तार के लिए अग्रिम दो किस्तों में वितरित किया जायेगा। पहली किस्त बंधक विलेख निष्पादित करने पर और दूसरी किश्त निमार्ण स्थल के छत स्तर पर पहूंचने पर।
- प्लॉट खरीदने और गृह निर्माण के अग्रिम के मामले में अग्रिम नीचे दिये अनुसार वितरित किया जायेगा।
    - **एक मंजिला घर :** प्रतिभूति बांड प्रस्तुत करने पर निर्धारित फार्म में करार का निष्पादन करने के बाद, प्लॉट की खरीद के लिए अग्रिम या वास्तविक लागत की 40 प्रतिशत राशि वितरित की जायेगी। शेष राशि दो समान किश्तों में वितरित की जाएगी, पहली मॉगेज का निष्पादन करने के बाद तथा दूसरी निमार्ण कार्य के कुरसी स्तर पर पहुंचने के बाद जारी की जाएगी।
    - **दो मंजिला मकान :** करार होने के पश्चात प्लॉट की लागत का 30 प्रतिशत अग्रिम वितरित किया जायेगा। शेष राशि को दो समान किस्तो में वितरित किया जाएगा, पहले बंधक विलेख को निष्पादित करने पर और दूसरा निमार्ण कार्य कुरसी स्तर तक पहूंचने पर।

<u>मॉगेज और द्वितीय मॉगेज की व्यवस्था :</u>

- भारत के राष्ट्रपति की ओर से मकान को बंधक रखा जाएगा तथापि यदि कर्मचारी, मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से घर/भूखंड या फ्लैट की शेष राशि को पूरा करने के लिए दूसरे मॉगेज की इच्छा रखता है तो वह उसी की घोषणा कर सकता है और गृह निमार्ण अग्रिम के लिये आवेदन करते समय अनापत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। गृह निमार्ण अग्रिम के स्वीकृति आदेश के साथ दूसरे मॉगेज के लिए अनापत्ति दिया जाएगा। गृह निमार्ण अग्रिम से कुल ऋण और अन्य सभी सोत्रो से ऋण घर की अधिकतम लागत से अधिकतम नही हो सकता जैसा कि उपरोक्त पैरा 4 में परिभाषित किया गया है।
- यदि पति/पत्नि दोनों ने संयुक्त रूप से गृह निमार्ण अग्रिम का लाभ उठाया है।

- सम्पति के संबंध में गृह निमार्ण अग्रिम बंधक कागज, बीमा कागजात और और अन्य कागजात उनकी पसंद के ऋण स्वीकृति अधिकारियों में से एक को जमा किए जाएंगे।
- द्वितीय ऋण स्वीकृति प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त किया जा सकता है।
- भारत के राष्ट्रपति के नाम में बंधक संपति का हस्तांतरण निर्धारित फार्म में केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित कर्मचारी (या उनके उत्ताधिकारियों के ना में जैसा कि मामला हो) को तब किया जायेगा, जब ब्याज के साथ मिलकर पूर्ण अग्रिम चुका दी गई है और द्वितीय ऋण स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत गृह निमार्ण अग्रिम के संबंध में अनापत्ति प्राप्त कर लिया हों।

बीमा : मकान/फ्लैट की खरीद, खरीद के तत्काल बाद, कर्मचारी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ अग्रिम राशि के बराबर राशि का घर का बीमा करेगा और इसे आग, बाढ और बिजली से होने वाली क्षति के खिलाफ तब तक सुरक्षित रखेगा जब तक कि अग्रिम ब्याज के साथ चुकाई न जाए और विभाग के प्रमुख के पास पॉलिसी दस्तावेजों को जमा करेगा। बीमा का नवीनीकरण हर साल किया जाएगा और प्रीमियम रसीदे नियमित रूप से विभाग के प्रमुख के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करनी होगी।

ब्याज की मौजूदा दर से 2 प्रतिशत अधिक का दंड स्वरूप ब्याज उस अवधि के लिए कर्मचारी से वसूल किया जाएगा जिस अवधि में उस मकान का बीमा नहीं हुआ है।

प्रवसन : वर्तमान गृह निमार्ण अग्रिम लाभार्थी जो प्रवसन करना चाहते है उनके लिए संशोधित गृह निमार्ण अग्रिम के लिए माइग्रेशन हेतु शीघ्र ही पृथक आदेश जारी किया जाएगा।

2.	**पर्सनल कम्प्युटर अग्रिम**	**Personal Computer Advance**

सक्षम प्राधिकारी सभी रेल कर्मचारी को व्यक्तिगत कम्प्यूटर खरीदने के लिए अधिकतम 50,000 रूपये अथवा अनुमानित मूल्य इनमें से जो कम हो स्वीकृत कर सकता है। यह अग्रिम सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम पांच बार ही स्वीकृत किया जा सकता है।

व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम स्वीकृति की शर्ते :

- कोई रेलवे कर्मचारी जिसने पहले ही व्यक्तिगत कम्प्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम लिया हो तथा अग्रिम लेने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूरी न हुई हो तो वह व्यक्तिगत कम्प्यूटर खरीदने के लिए दूसरी या इसके बाद की अग्रिम स्वीकृत किय जाने का पात्र नहीं होगा।
- व्यक्तिगत कम्प्यूटर खरीदने हेतु अग्रिम स्वीकृत कराने के लिए आवेदन पत्र जी.एफ.आर. फार्म-27 में दिया जाना अपेक्षित है।
- व्यक्तिगत कम्प्यूटर पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए कोई अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

- व्यक्तिगत कम्प्यूटर राष्ट्रपति के नाम बंधक रखना आवश्यक है और इस प्रयोजन के लिए जी.एफ. आर फार्म- 24 का प्रयोग किया जाए जिसमें ''मोटर वाहन'' शब्द को ''व्यक्गित कम्प्यूटर'' से प्रतिस्थापित किया जाए। इसी तरह मोटरकार खरीदने के लिए अग्रिम लेने हेतु करार के के जी.एफ. आर फार्मो के ''मोटर वाहन'' शब्दों का ''व्यक्गित कम्प्यूटर'' शब्दों से प्रतिस्थापित करते हुए प्रयोग में लाया जा सकता है। बंधक पत्र में व्यक्तिगत कम्प्यूटर की बनावट तथा मॉडल का उल्लेख किया जायेगा।

<u>अग्रिम की वसूली :</u>

- व्यक्तिगत कम्प्यूटर खरीदने के लिए स्वीकृत किए गए अग्रिम की वापसी ऐसी समान मासिक किश्तों में की जाएगी जैसा कि रेलवे कर्मचारी चाहें किनतु वे किस्ते 150 से अधिक न हों।
- रेलवे कर्मचारी द्वारा कम्प्यूटर की खरीद हेतु अग्रिम सहित समस्त अग्रिमों की कटौती इस तरह होगी कि कटौती की राशि कर्मचारी के कुल परिलब्धियों से अधिक न हों।

<u>ब्याज :</u>

- व्यक्तिग कम्प्यूटर की खरीद हेतु रेलवे कर्मचारियों को स्वीकृत की गयी अग्रिम रकमों पर उन दरों पर साधारण ब्याज लिया जाएगा जो दरें सरकार द्वारा मोटर कार अग्रिम के लिए समय-समय पर निर्धारित की गई हों।
- मोटरकार अग्रिम की स्वीकृति को विनियमित करने वाली सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 में निर्धारित अन्य सभी शर्तें उस अग्रिम पर लागू होंगी जो व्यक्तिग कम्प्यूटर खरीदने हेतु स्वीकृति की जाएगीं।

ख. तथापि, ऐसे रेल सेवकों जो जिनका वेतन बैंड में ग्रेड वेतन को छोडकर वेतन प्रतिमाह 8560 रूपये या उससे अधिक हो और वे जो मौजूदा उपबंधों के अंतर्गत कम्प्यूटर अग्रिम की स्वीकृति के अन्यथा पात्र नहीं हैं, को निजी कम्प्यूटर की खरीद के लिए 30,000 रूपये तक का अग्रिम या प्रत्याशित लागत (सीमा शुल्क यदि कोई हो को छोडकर) जो भी कम हो, स्वीकृत की जा सकती है।

4. अवकाश नियम — LEAVE RULE

रेल कर्मचारियों द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के अवकाश लिये जा सकते है जो कि रेलवे कर्मचारी अवकाश नियम-1949 के अंतर्गत आते है। अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है इसें प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है।

1. औसत अर्जित अवकाश — LEAVE ON AVERAGE PAY

स्थायी या अस्थायी रेलवे कर्मचारी (रेलवे स्कूल के अध्यापकों को छोडकर) एक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिन की औसत वेतन की छुट्टी पाने के हकदार है। यह छुट्टी वर्ष में 02 किश्तों में कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है। हर कैलेण्डर वर्ष में एक जनवरी को 15 और एक जुलाई को 15 अवकाश जमा होती है। पिछली छमाही तक जितनी छुट्टियां जमा होती है उनको भी अगली छमाही में ले जाया जाता है। दिनांक 01.07.1996 से कुल जमा छुट्टी अब 240 से बढकर 300 दिन हो गई है। जो रेल कर्मचारी नई नौकरी में आये हो, सेवामुक्त हो रहे हों, नौकरी से हटाये जायें या जिनकी मृत्यु हो जाये उनके लिए छूट्टी की गणना पूरे कलैण्डर मास में से 2-1/2 दिन के हिसाब से की जाती है। किसी कर्मचारी के खाते में 258 दिन से 300 दिन तक की छुट्टियां जमा होने के बाद अगली छमाही में 15 दिन की छुट्टियां अलग से जमा की जाती है। एक बार में अधिकतम 180 दिन तक की छुट्टी दी जा सकती है। पिछले 06 महीने में ली गई असाधारण छूट्टी या अकार्य दिनों का 1/10 भाग 15 दिन की अग्रिम छुट्टी से कम करके जमा किया जायेगा। यह कमी अधिकतम 15 दिन हो सकती है।

2. अर्द्व वेतन अवकाश — LEAVE ON HALF AVERAGE PAY

एक वर्ष में 20 दिन की आधे वेतन की छुट्टी दी जाती है। इसे भी छुट्टी खातें में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन जमा किया जाता है। वर्ष मे हुई नियुक्ति या सेवा मुक्ति की सूरत में एक महीने में 5/3 दिन के हिसाब से गणना करके छुट्टी जोडी जाती है। यह एक बार में 24 मास तक ली जा सकती है। इसे निजी कार्य या मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर लिया जा सकता है। सेवा का एक वर्ष पूरा करने के बाद वाले दिन छुट्टी पर होने पर भी ड्यूटी पर वापिस आए बिना ही उपर्युक्त छुट्टी का हक बन जाता है। पिछले 06 महीने में ली गई असाधारण छूट्टी या अकार्य दिनों का 1/18 भाग 10 दिन की अग्रिम छुट्टी से कम करके जमा किया जायेगा। यह कमी अधिकतम 10 दिन हो सकती है।

3. विशेष अशक्तता अवकाश — SPECIAL DISABILITY LEAVE

यह अवकाश रेल कर्मचारी (स्थायी अथवा अस्थायी, राजपत्रित अथवा अराजपत्रित) को स्वीकृत की जा सकती है जो अपनी पदीय स्थिति के कारण शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। यह छूट्टी प्राधिकृत मेडिकल आफिसर द्वारा प्रमाणित अवधि के लिये ही होगी परन्तु एक अशक्तता के लिये 24 माह तक सीमित रहेगी तथा इसे ड्यूटी के रूप में गिना जायेगा। कर्मचारियों को इस अवकाश के प्रथम 120 दिनों तक अवकाश वेतन औसत अर्जित वेतन अवकाश के एवज में देय वेतन के बराबर होगा तथा शेष अवधि के लिये अर्द्व औसत अर्जित वेतन अवकाश के बराबर होगा। इस अवकाश को किसी अन्य अवकाश के साथ मिलाया जा सकता है। यदि कर्मचारी श्रमिकों के हरजाने के कानून से संचालित है तो ऐसी दशा में इस नियम के अन्तर्गत देय अवकाश वेतन में से उसे भुगतान की गई पाक्षिक हरजाने की राशि को कम कर दिया जायेगा।

4.	असाधारण अवकाश	EXTRA ORDINARY LEAVE

जब नियमों द्वारा अन्य अवकाश देय न हो अथवा अन्य प्रकार के अवकाश देय होने के बावजूद जब कर्मचारी असाधारण अवकाश की स्वीकृति के लिये लिखित रूप में अनुरोध करें तब सक्षम अधिकरी कर्मचारी को असाधारण अवकाश स्वीकृत कर सकता है। असाधारण अवकाश, अवकाश खाते में से काटा नहीं जाता है। असाधारण अवकाश के दौरान कोई अवकाश वेतन नहीं मिलता है। सक्षम प्राधिकारी, आकस्मिक अवकाश को छोडकर जो उसे देय हो, अन्य अवकाश की निरन्तरता में अथवा उसके साथ आधारण अवकाश स्वीकृत कर सकता है अथवा बिना अवकाश अनुपस्थिति की अवधि को असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर सकता है। अनुपस्थिति की अवधि को असाधारणअवकाश में बीती हुई अवधि से परिवर्तित की जा सकती है चाहे कर्मचारी ने आवेदन किया है अथवा नहीं।

स्थायी कर्मचारी के मामलें में असाधारण अवकाश एक बार में 5 वर्षो तक के लिये स्वीकृत किया जा सकता है। पांच साल की इस सीमा में अन्य अवकाश भी, यदि कोई हों, सम्मलित हैं। अस्थायी कर्मचारियों को भी असाधारण अवकाश निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है।

1. चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना 3 माह तक
2. सामान्य अस्वस्थता के लिये चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 6 महीनों तक
3. कैंसर, मानसिक बीमारी, क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग के लिये चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 18 माह तक

5.	अस्पताली छुट्टी	HOSPITAL LEAVE

यह अवकाश बीमारी अथवा चोटों के इलाज के लिये, राजपत्रित अधिकारियों के अलावा अन्य रेल कर्मचारियों को स्वीकृत किया जा सकता है, यदि ऐसी बीमारी अथवा चोट सरकारी कार्य के दौरान प्रत्यक्ष जोखिम भरे कार्यो के कारण हुई है। यह अवकाश प्राधिकृत मेडिकल आफिसर द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा। चिकित्सालयी अवकाश उस अवधि के लिये स्वीकृत किया जा सकता है जिसे स्वीकृति दाता अधिकारी अवकाश वेतन पर देना आवश्यक समझे। पहले 120 दिनों तक उस अवकाश वेतन के बराबर जो कर्मचारी को औसत अर्जित अवकाश पर रहने पर मिलता तथा शेष अवधि के लिये अर्द्व वेतन अवकाश के बराबर वेतन अवकाश पर। चिकित्सालयी अवकाश स्वीकृत करने की महाप्रबंधक की शक्तियॉं असीमित हैं। चिकित्सालयी छुट्टी को कर्मचारी के अवकाश खाते मेंसे काटा नहीं जायेगा तथा इसे किसी भी छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता हैं जो स्वीकार्य हो, बशर्ते इस अवकाश की सम्पूर्ण अवधि, अन्य अवकाश को मिलाने के बाद 28 माह से उपर न होने पाये। ड्युटी पर घायल प्रशिक्षु भी चिकित्सालयी अवकाश के हकदार है।

6.	अनर्जित छुट्टी	LEAVE NOT DUE

जब कर्मचारी के खाते में किसी प्रकार का कोई छुट्टी बाकी नहीं रहता है तो कर्मचारी के लिखित निवेदन करने पर और सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि कर्मचारी भविष्य में यह छूट्टी अर्जित करेगा तो अनर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यह छूट्टी पूरे सेवाकाल में डाक्टरी प्रमाण पत्र देने पर 360 दिन स्वीकृत किया जा सकता है। कर्मचारी के आधे वेतन की छुट्टी के खाते में भविष्य में वह जो छुट्टी अर्जित करेगा उसके नामे लिखा जायेगा। यदि कर्मचारी काम पर लौट आये और उसके बाद इस्तीफा दे या सेवामुक्ति ले तो जितनी छूटटी उसने अर्जित नहीं की उसके बराबर की छुट्टी वेतन की रकम उसे वापिस करनी होगी।

7.	प्रसूति छुट्टी	MATERNITY LEAVE

एक महिला रेल कर्मचारी को (जिसमें एपेण्टिस भी शामिल है) सक्षम अधिकारी 180 दिन की प्रसूति अवकाश स्वीकृत कर सकता है। यह लाभ दो बच्चों तक ही दिया जाता है। इस छूट्टी के दौरान वेतन उस वेतन के बराबर होता है जो कम्रचारी को छूट्टी से पहले मिल रहा है। प्रसूति छुट्टी के साथ कोई दूसरी छुट्टी भी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के दो साल की अवधि तक दिया जा सकता है। गर्भपात की अवस्था में छः सप्ताह का प्रसूति अवकाश छुट्टी के प्रार्थना पत्र के साथ डॉक्टरी प्रमाण-पत्र पर स्वीकृत किया जा सकता है। अविवाहित महिला कर्मचारी को भी यह सुविधा दी जा सकती है। महिला कैजुअल लेबर जिसे अस्थायी दर्जा मिल गया हो किसी भी तरह का गर्भपात, भले ही उसने खुद कराया हो, गर्भपात की सुविधाओं के लिए माना जाएगा।

8.	बाल दत्तक ग्रहण छूट्टी	CHILD ADOPTION LEAVE

नैसर्गिक माताओं को स्वीकार्य मातृत्व अवकाश के समान, दो से कम जीवित संतानों वाली रेलकर्मी बाल दत्तक ग्रहण करने वाली माताओं को एक वर्ष से आयु तक के शिशु को गोद लेने पर बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी 180 दिनों तक स्वीकृत की जाती है।

9.	पितृत्व अवकाश	PATERNITY LEAVE

पुरूष कर्मचारी (एप्रेण्टिस भी) जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, अपनी पत्नि की प्रसव की अवधि के दौरान अर्थात् बच्चे पैदा होने की तरीख से 15 दिन पहले अथवा 6 महीने की अवधि तक 15 दिन का पितृत्व अवकाश पा सकेंगे। यह उनके अवकाश खाता से नहीं काटा जा सकेगा और किसी दूसरी छूट्टी के साथ जोडा जा सकेगा। प्रसूति छुट्टी की तरह पितृत्व छुट्टी की मंजूरी भी केवल एक बार ही दी जाए। पुरूष कर्मचारी (एप्रेण्टिस भी) जिसके दो से कम जीवित बच्चे हो एक वर्ष के आयु तक के शिशु को गोद लेने पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश पा सकेंगे। यह छूट्टी दत्तक ग्रहण की तारीख के 6 महीने के भीतर ली जा सकेगी।

10.	बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी	CHILD CARE LEAVE

नाबालिग दो बच्चों की देखलाभ के लिए समुची सेवा के दौरान अधिकतक दो वर्ष (730 दिन) की छुट्टी दी जा सकती है। यह जरूरत उन्हें पालने के लिए या परीक्षा, बीमारी आदि के दौरान हो सकती है। 18 साल या अधिक के आयु के बच्चे के लिए यह छुट्टी नहीं मिलेगी। शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग किसी भी उम्र के बच्चें के लिए शिशु देख-भाल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यह अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। साल में अधिकतम तीन बार एवं एक बार में कम से कम 5 दिन की शिशु देख-भाल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।

11.	आकस्मिक छूट्टी	CASUAL LEAVE

आकस्मिक छुट्टी एक ऐसी छुट्टी है जो कर्मचारियों को अचानक या अनजानी जरूरतों को पूरा करने के लए दी जाती है। इसे तकनीकी तौर पर छुट्टी नहीं माना जाता और सामान्य रूप से छुट्टियों पर लागू नियम इस पर नहीं लागू होते। यह छुट्टी सभी ग्रुपों (ए,बी,सी, डी) के कर्मचारियों को मिलती है। केन्द्र सरकार ने पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों पर यह निर्णय किया है कि आकस्मिक अवकाश 12 दिन से घटाकर 8 दिन कर दी जाये। यह आदेश 1 जनवरी 1998 से लागू होंगे। जिन वर्गो के कर्मचारियों को 12 दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश मिलता था उसमें भी तदनुसार कमी की जायगी। जिन्हें पहले 15 दिन का अवकाश मिलता था वे अब 10 दिन का अवकाश पायेगें। जिन्हें 17 दिन (12+5) का अवकाश मिलता था वे अब 13 दिन (8+5) का अवकाश पायेंगे। सार्वजनिक अवकाश, शनिवार, रविवार की बंदी वाले दिन और साप्ताहित अवकाशों को यदि वे आकस्मिक अवकाश के दिनों में पडे अवकाश में नहीं गिना जाता। इन्हें अवकाश के पहले और बाद में भी जोडा जा सकता है।

12.	विशेष आकस्मिक छुट्टी	SPECIAL CASUAL LEAVE

निम्नलिखित अवसरों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत की जाती है।

1.	रेल कर्मचारी सहकारी समितियों के प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो को देखने के लिए	एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन
2.	परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे परिवार के मानदंडो को बढावा देने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश	
क.	पुरूषों के लिए	
ए.	नसबंदी ऑपरेशनः	06 दिन
बी.	पत्नि का ट्युबेक्टोमी ऑपरेशन होने पर उसकी देखरेख के लिए	07 दिन
सी.	कर्मचारी की पत्नि के चिकित्सकीय गर्भपात के बाद नलबंदी/डबवाहिनी उच्छेदन ऑपरेशन करवाने पर	07 दिन
ई.	कर्मचारी की पत्नी का लेप्रोस्कोपित पद्वति के अन्तर्गत बंध्याकरण ऑपरेशन करने पर	07 दिन
ख.	विवाहित महिला कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश	
ए.	नसबंदी ऑपरेशनः	14 दिन
बी.	आई.यू.डी लगवाने पर	01 दिन
सी.	लोकोस्कोपिक पद्वति द्वारा बंध्याकरण	14 दिन
डी.	पति का ऑपरेशन	01 दिन
ग.	अविवाहित रेल कर्मचारी को छुट्टी	
ए.	अविवाहित रेल कर्मचारियों को पुनः नाल खोलने के लिए	21 दिन
घ.	दैनिक मजदूरी वाले नैमित्तिक श्रमिक (पुरूष तथा महिला श्रमिक दोनों) को विशेष आकस्मिक अवकाश	
ए.	नसबंदी ऑपरेशन-पुरूष	06 दिन
बी.	नसबंदी ऑपरेशन-महिला	14 दिन
सी.	आई.यू.डी. लगवाना-महिला	01 दिन
3.	खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए रेल कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश	
ए.	राष्ट्रीय चैंपियनशिप-राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। इससे पहले जो प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है उसमें लाग लेने के लिए	30 दिन
बी.	राष्ट्रीय महत्व के टूर्नामेंण्ट में भाग लेने एवं इससे पूर्व प्रशिक्षण लेने के लिए कोचिंग शिविर में भाग लेने के लि	समस्त अवधि
4.	जिस पर्वतारोहण अभियान को भारतीय पर्वतारोहण संस्थान को अनुमोदन प्राप्त हो उसमें भाग लेने पर।	30 दिन
5.	ट्रैकिंग अभियान : यूथ होस्टल आफ इंडिया द्वारा आयोजित ट्रैकिंग अभियान अथवा भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के अनुमोदन प्राप्त अभियान में भाग लेने पर	30 दिन
6.	ब्रिज टूर्नामेण्ट में लाग लेना :	30 दिन
7.	राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान	01 दिन
8.	स्काउटिंग ड्युटी	30 दिन
9.	लोकसभा तथा राज्य विधान सभा के चुनाव में भाग लेने के लिए, यदि वे ऐसी जगह रहते हों जहां वोट डालने की तिथि अलग हो	01 दिन
10.	नाटक, संगीत जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्तर मंडलीय तथा अन्तर रेलवे प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए	30 दिन

5.	पास नियम	PASS RULE

रेल सेवक अथवा उसके परिवार के हकदार सदस्य और आश्रित सम्बन्धी जैसा कि इन नियमों में वर्णित हैं, को निम्नलिखित प्रकार के पास जारी किये जा सकते है।

1. ड्यूटी पास 2. सुविधा पास 3. स्कूल पास 4. मानार्थ पास

5. विधवा पास 6. आवासीय कार्ड पास 7. विशेष पास

1. **ड्यूटी पास :** सातवें वेतन आयोग के पश्चात मुख्यालय से बाहर जाने हेतु निम्न विवरणानुसार ड्यूटी पास जारी किए जाते है।

ANNEXURE-I to letter No. E(W)2016/PS5-1/8 dated 31.01.2019

TRAVEL ENTITLEMENT ON DUTY PASS

Sl. No.	Status	Pay Level in Pay Matrix (PLPM)	Type of Pass	Maximum number of Berths/Seats for self + family members, as defined under Rule 2(d) of extant Railway Servants (Pass) Rules										
				Mail/Express Trains				Rajdhani/Duronto Express Type Trains (Refer RBE No.68/2017 dated 12.07.2017 for 'Type Trains')					Shatabdi Express Type Trains	
				1-AC	2-AC	3-AC	SL/2S	1-AC	2-AC	3-AC	SL	2S	EC	CC
1	CRB, Board Members including FC, DGs & GMs granted Apex Scale and Chief Commissioner for Railway Safety	17	Gold Pass*	2 + AE-I or 1 +RE/D-I	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4
2	GMs & other equivalent officers	16												
3	HAG officers (Including NF-HAG)	15	Silver Pass	1+AE-II or 1+ RE/D-I	4	4	4	1+AE-III or 1+RE/D-II	2	4	4	4	2	4
4	SAG officers (Including NF-SAG)	14												
5	Selection Grade officers	13	Bronze Pass/ First Class 'A' (with 1-AC authority)	1+AE-II or 1 + RE/D-I	4	4	4	1+AE-III	2	4	4	4	2	4
6	JAG officers	12												
7	All other Group A & B Gazetted Officers	11	Bronze Pass/ First Class 'A'	RE/D-III	4	4	4	NE	1+ RE/D-IV	2	4	4	NE	2
8		10												
9		9												
10		8												
11	Non-gazetted Cadre	6 & above	First Class	NE	1	1	1	NE	NE	1	1	1	NE	1
12		5	Second Class 'A'	NE	NE	1	1	NE	NE	NE	1	1	NE	NE
13		4												
14		3												
15		2												
16		1	Second/Sleeper Class	NE	NE	NE	1	NE	NE	NE	NE	1	NE	NE

Legend:-	AE	Additional Entitlement; RE/D Restricted Entitlement on Duty; NE Not Entitled
	Gold Pass*	Gold Pass holder is entitled for 1-AC Coupe (i.e. 2 berths) even when travelling alone.
	AE-I	2 extra berths in 2-AC Class for other eligible family members included in the Pass.
	AE-II	3 extra berths in 2-AC Class for eligible family members included in the Pass.
	AE-III	1 extra berth in 2-AC Class for an eligible family member included in the Pass.
	RE/D-I	3 extra berths for eligible family members included in the Pass on payment of 1/3rd difference of fare between 1-AC Class and 2-AC Class of respective train.
	RE/D-II	1 extra berth for an eligible family member included in the Pass on payment of 1/3rd difference of fare between 1-AC Class and 2-AC Class of respective train.
	RE/D-III	4 berths for self and eligible family members included in the Pass on payment of 1/3rd difference of fare between 1-AC Class and 2-AC Class of respective train.
	RE/D-IV	1 extra berth for an eligible family member included in the Pass on payment of 1/3rd difference of fare between 2-AC Class and 3-AC Class of respective train.
Note:-		Existing provisions regarding attendant facility shall continue to apply.

V. [signature] 31/1/19
DDE(W)-I/Rly.Board

सुविधा पास **:** सातवें वेतन आयोग के लागू होने के पश्चात सेवारत रेल कर्मचारियों को नीचे दिए गए योग्यता के अनुसार प्रत्येक कलैंडर वर्ष में सुविधा पास और टिकट आदेश (पी.टी.ओ.) मिलते हैं।

ANNEXURE-II to letter No. E(W)2016/PS5-1/8 dated 31.01.2019

TRAVEL ENTITLEMENT ON PRIVILEGE & POST RETIREMENT COMPLEMENTARY PASSES

Sl. No.	Status	Pay Level in Pay Matrix (PLPM)	No. of Passes in a calendar year: Privilege Passes	No. of Passes in a calendar year: PRCP (after 20 years of railway service)	Class of Pass	Berth/Seat Entitlement: Mail/Express Trains 1-AC	2-AC	3-AC	SL/2S	Rajdhani/Duronto Express Type Trains (Refer RBE No.68/2017 dated 12.07.2017 for 'Type Trains') 1-AC	2-AC	3-AC	SL	2S	Shatabdi Express Type Trains EC	CC
1 2	CRB & Board Members DGs & GMs	17	06 Sets	03 Sets	First Class 'A'	2+ RE-I	AEM	AEM	AEM	2	2	4	AEM	AEM	2	2
3	GMs & other equivalent Officers	16	06 Sets	03 Sets	First Class 'A'	1+ RE-I	AEM	AEM	AEM	1+ RE-II	2	4	AEM	AEM	2	2
4 5	HAG Officers (Including NF-HAG) SAG Officers (Including NF-SAG)	15 14	06 Sets	03 Sets	First Class 'A'	RE-III	AEM	AEM	AEM	RE-IV	2	4	AEM	AEM	1	2
6 7 8	Selection Grade Officers JAG Officers Sr. Scale Officers	13 12 11	06 Sets	03 Sets	First Class 'A'	RE-III	AEM	AEM	AEM	NE	2	4	AEM	AEM	NE	2
9 10 11	Other Group A & B Gazetted Officers	10 9 8	06 Sets	03 Sets	First Class 'A'	RE-III	AEM	AEM	AEM	NE	1	2	AEM	AEM	NE	2
12	Non-gazetted Cadre	6 and above	01 Set (upto the end of 5 years of railway service)	02 Sets	First Class	RE-V	AEM	AEM	AEM	NE	1	2	AEM	AEM	NE	2
13		5			Second Class 'A'	NE	RE-V	AEM	AEM	NE	NE	NE	4	4	NE	NE
14 15 16 17		4 3 2 1	03 Sets (after completion of 5 years of railway service)		Second/ Sleeper Class	NE	NE	RE-V	AEM	NE	NE	NE	NE	4	NE	NE
		Upgraded Pass for serving employees in PLPM 4, 3, 2 & 1:- 01 Set of Second Class 'A' Pass in lieu of 01 Set of Second/Sleeper Class Pass even with less than 05 years of railway service.				NE	NE	AEM	AEM	NE	NE	NE	4	4	NE	NE

Legend:-						
	AEM	All Eligible Members included in the Pass (i.e. self, family members & dependent relatives, as defined under Rule 2(c) & (d) and subject to other conditions stipulated in the extant Railway Servants (Pass) Rules).	RE	Restricted Entitlement	NE	Not Entitled
	RE-I	Extra berths for other eligible members included in the Pass on payment of 1/3rd difference of fare between 1-AC Class and 2-AC Class of respective train.				
	RE-II	One extra berth for any other eligible member included in the Pass on payment of 1/3rd difference of fare between 1-AC Class and 2-AC Class of respective train.				
	RE-III	Berths for AEM on payment of 1/3rd difference of fare between 1-AC Class and 2-AC Class of respective train.				
	RE-IV	One berth for self or any other eligible member included in the Pass on payment of 1/3rd difference of fare between 1-AC Class and 2-AC Class of respective train.				
	RE-V	Berths for AEM on payment of full difference of fare between this Class and the next lower Class of respective train.				
te:-	Existing provisions regarding attendant/companion facility shall continue to apply.					

V. [signature] 31/1/19
DDE(W)-I/Rly Board

<u>सुविधा पास/पी.टी.ओ. पर स्वीकार्य व्यक्ति :</u> कर्मचारी, उसका परिवार और आश्रित सदस्य। स्वंय और परिवार के लिए पास में कितनी भी संख्या हो सकती हैं। यदि आश्रित शामिल हो तो पांच से अधिक संख्या न हो। दो से अधिक आश्रित न हों।

<u>पास की मियाद (वेलेडिटी) :</u> आधा सेट सुविधा पास, मानार्थ सेवोत्तर पास, विधवा पास, पी.टी.ओ. अब पूरे सेट पास की तरह पांच महीने के लिए वैध रहता है।

<u>स्कूल पास :</u>कर्मचारी का बच्चा यदि मुख्यालय के बारह किसी नगर में पढता हो तो उसे मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के प्रमाण पत्र के आधार पर स्कूल पास दिये जाते हैं। एक साल में इकतरफा यात्रा के 6 पास दिये जातें हैं। इस पास में 18 साल से कम आयु के लडके और किसी भी आयु की लडकी के साथ अभिभावक भी शामिल होता है। पास उसी श्रेणी में मिलता है जिसका कर्मचारी पात्र हों। छुट्टियों के दौरान स्कूल पास को दिये जाने की शर्तें निम्नलिखित है।

1. स्कूल सर्टिफिकेट साल में एक बार शुरू में देना होगा।
2. यदि पढाई छोड दी हो तो इस की सूचना पास देने वाले अधिकारी को देनी होंगी।
3. शक होने पर स्कूल सर्टिफिकेट लेने के लिए बार-बार जोर डाला जाए।
4. यदि पास बिना स्कूल सर्टिफिकेट दिया गया है तो एक महीने के अंदर दिया जाना जरूरी है।

(प्राधिकारः ई(डब्ल्यू)2008/पीएस/एल 5-1/38 दिनांक 23.07.2010, आर.बी.ई. 104/2010)

मानार्थ पास :ऐसे सभी कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2006 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए है को निम्नानुसार मानार्थ पास जारी किए जा सकते है। यह पास उसी दर्जे के होंगे जिस दर्जे के कर्मचारी को रेल सेवा के दौरान मिलते थे।

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिवर्ष देय पास
1.	ग्रुप क और ख जिनकी रेल सेवा 20 वर्ष या उससे अधिक है।	03 सेट प्रतिवर्ष
2.	ग्रुप ग और घ जिनकी रेल सेवा 20 वर्ष या उससे अधिक है।	02 सेट प्रतिवर्ष

<u>विधवा को मानार्थ पास :</u>जो कर्मचारी दिनांक 12.03.1987 को या उसके बाद नौकरी में थे, उनकी मृत्यु हो जाने पर विधवा/विधुर को मानार्थ पास मिलता है। नौकरी के दौरान प्रतिवर्ष 2 सेट सुविधा टिकट आदेश कम करके इस योजना में शामिल होते है। यह सुविधा उन कर्मचारियों की विधवा/विधुर को भी मिल सकेगी जो 12.03.1987 से पहले सेवा में थे किन्तु उन्हें सुविधा टिकट आदेशों के दो सेटों के कल्पित मूल्य के रूप में एकबारगी 250 रूपये का भुगतान करना होगा। यह भुगतान मंडलीय कैशियर द्वारा नकद या उस रेलवे से जहां विधवा पास लेना चाहती है, उसके वित्त सलाहकार एवं मुलेधि के नाम डिमांड ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

विधवा/विधुर को मिलने वाले पासों की संख्या सेवामुक्ति के बाद मिलने वाले पासों की आधी होती है। यदि किसी की मृत्यु नौकरी के दौरान हो जाये तो यह समझ लेंगे कि रिटायर होने पर उसे कितने पास मिलते। इस प्रकार वर्ष में 3 सेट के आधे डेढ सेट, 2 सेट का आधा 1 सेट, और 1 सेट का आधा 1/2 सेट मिलेंगे। ग्रुप डी कर्मचारी की विधवा को दो वर्ष में एक सेट मिलेगा। किसी भी कर्मचारी की विधवा/विधुर को कम-से-कम दो वर्ष में एक सेट पास अवश्य मिलेंगा। यह पास उसी दर्जे के होंगे जिस दर्जे के कर्मचारी को मिलते थे। विधवा/विधुर को कोई असुविधा न हो इसके लिए कर्मचारी को रिटायर होते समय एक परिवार का पहचान पत्र दे देना चाहिये जिसमें प्रत्येक सदस्य की पासपोर्ट साइज फोटो लगी हो। इसे कर्मचारी की मृत्यु के बाद दिखाकर उस दफ्तर से पास मिलेंगे, जहां वह रहती हो और उसे पास लेने में सुविधा हो। यदि कर्मचारी ने विधवा पास योजना से बाहर रहने का विकल्प दिया हो तो भी विधवा 250 रूपये जमा करके पास ले सकेगी।

विधवा को यह विकल्प दिया जाएगा कि या तो वह नियम के अनुसार अपना विधवा पास ले अथवा अपने पुत्र/पुत्री की आश्रित विधवा मां को मिलने वाली पास की सुविधा प्राप्त करें। आश्रित सुविधा के लिए उस पर आय-सीमा के नियम लागू होंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा।

विधवा यदि अनुकम्पा के आधार पर रेलवे में नियुक्ति पाये तो उसको दो बार विकल्प दिया जाएगा। वह नियुक्ति पर चुन ले कि विधवा पास लेगी या कर्मचारी हैसियत से सुविधा पास/पी.टी.ओ.। रिटायर होने पर भी वह तय करें कि विधवा पास लेगी या सेवात्तर मानार्थ पास। दोनों ही अवसरों पर एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होंगा।

विधवा मां मृत कर्मचारी की विधवा के परिवार के सदस्य के रूप में भी पास में शामिल हो सकती है। 65 वर्षीय विधवा पास धारक (प्रथम श्रेणी) को भी विभिन्न शर्तो के अधीन परिचार के बजाय साथी ले जाने की सुविधा होंगी, यदि वह स्लीपर श्रेणी से यात्रा करें। पास पर आवश्यक पृष्ठांकन भी किया जाएगा।

मृत कर्मचारी की आश्रित विधवा मां को कर्मचारी की विधवा के सुविधा पास में भी जोडा जाएगा।

विधवाओं को और रिटायर हुए कर्मचारियेां को मेडिकल आधार पर मिलने वाले पासों पर शताब्दी/राजधानी ट्रेनों से यात्रा की जा सकेगी यदि वे उसकी शर्ते पूरी करते हों। इस बारे में पास पर एक पृष्ठांकन कर दिया जाएगा।

विधवा को पास मिलने में असुविधा ना हो, इसके लिए पहली बार पास लेने पर पास की देयता के प्रमाण -पत्र की फोटो कापी अर्जी के साथ देना काफी होगा। फार्म पर दो सेवारत कर्मचारियों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होंगी। प्रोफार्मा से भी यह कालम हटा दिये जाएंगे।

रेल कर्मचारियों की विधवाएं जो सहानुभुति आधार पर कारीगर वर्ग में शिक्षु पक्ष पर नियुक्त की जाती है वे उन्हें अपने प्रशिक्षण की समाप्ति के समय तक विधवा पास योजना के तहत पास प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। इसके पश्चात उन्हें अपने विकल्प चुनना होगा।

6.	रेलवे आवास नियम	RAILWAY QUARTER RULE

रेल सेवकों को रेल आवास की पात्रता निम्नप्रकार है।

क्रम संख्या	विवरण	पात्रता
01	कर्मचारी जिनका ग्रेड वेतन 1800 रू. या कम हों	टाइप-1
02	कर्मचारी जिनका ग्रेड वेतन 1900 रू. से 2400 रूपये तक	टाइप-2
03	कर्मचारी जिनका ग्रेड वेतन 2800 रूपये से 4200 रूपये तक	टाइप-3
04	कर्मचारी जिनका ग्रेड वेतन 4600 रू. है।	टाइप-4
05	राजपत्रित अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन 6600 रू. से कम	टाइप-4
06	राजपत्रित अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन 6600 रू. है	टाइप-4 स्पेशल
07	राजपत्रित अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन 6600 रू. से अधिक है।	टाइप-5

(Authority: Railway Board L.No. 2008/LMB/10/16 dated 27.01.2011)

रेलवे आवासों को रोके रखने की अनुमत सीमायें

1.	**स्थानान्तरण**	स्थायी स्थानान्तरण की दशा में रेलवे कर्मचारी को अपनी पहली नियुक्ति के स्टेशन पर सामान्य किराये के भुगतान पर दो महीने की अवधि के लिए आवास रोके रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।कर्मचारी के बच्चे की शिक्षा अथवा स्वंय या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के आधार पर सामान्य किराये के दो गुने के भुगतान पर अगले छः माह के लिए और बढायी जा सकती है।उपरोक्त अवधि के आगे और विस्तार, उसके बच्चों के चालू शैक्षिक सत्र को पूरा करने तक के लिए किया जा सकता है।
2.	**स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति /सेवानिवृत्ति**	सामान्य किराये पर चार महीनों के लिये एवं दूगने किराये पर अगले चार महीनों के लिये अनुमति दी जा सकती है।
3.	**सेवाकाल में मृत्यु होने पर**	सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी का परिवार 24 माह तक क्वार्टर रोके जाने की अनुमति दी जा सकती हैं। इससे अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता।
4.	**त्यागपत्र/बर्खास्त/निष्कासित**	सामान्य किराये के भुगतान पर मात्र एक महीने के लिये रेलवे आवास को रोके रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
5.	**असाधारण छुट्टी सहित छुट्टी**	1. 120 दिन तक सामान्य किराये पर
6.	**चिकित्सा के आधार पर छुट्टी**	चिकित्सा छुट्टी पर कर्मचारी को छुट्टी की पूरी अवधि के लिये साधारण किरायें/लाइसेंस फीस/किराये को समान दर के भुगतान पर

		क्वार्टर के प्रतिधारण की अनुमति दी जाए।
7.	**अप्रेन्टिस के रूप में चयन होने पर**	अप्रेन्टिस अवधि के लिये, विभागीय/रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षु के रूप में चयनित होने पर कर्मचारी को उस स्टेशन पर जहां से वह प्रशिक्षण के लिए जाता/जाती है उसकी प्रशिक्षुता की अवधि के दौरान रेलवे क्वार्टर अपने पास रखने की अनुमति दी जा सकती है।
8.	**अधिशेष घोषित (सरप्लस) होने के बाद दूसरे स्टेशन पर नियुक्त होने पर :**	आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्षो की अवधि के लिये अथवा नियुक्ति के नये स्थान पर आवास आवंटित होने तक, जो भी पहले हो।
9.	**गुमशुदा रेलवे कर्मचारी के सम्बन्ध में**	गुमशुदा रेलवे कर्मचारी के परिवार को पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानें की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये सामान्य किराये की दर से आवास रोके रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा यह प्रमाणित किये जाने पर कि गुमशुदा कर्मचारी का पता नहीं लग सका हैं, रेलवे कर्मचारी के परिवार को सामान्य किराये की दर से अगले एक वर्ष के लिये पुनः आवास रोकने की अनुमति दी जा सकती है।

पानी के लिये चार्ज :

क्रम संख्या	पात्रता	मासिक चार्ज
01	टाइप-1	05 रूपये महीना
02	टाइप-2	15 रूपये महीना
03	टाइप-3	25 रूपये महीना
04	टाइप-4	35 रूपये महीना

नोट : ग्रुप डी कर्मचारी से यह चार्ज नहीं लिया जायेगा।

किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा अपना रेलवे आवास किसी को किराये पर देने पर उसके विरूद्व निम्नलिखितज कार्यवाही की जायेगी।

बिना मंरेप्र/विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के रेलवे आवास किराये पर देना एक अपराध है। कर्मचारियों द्वारा आवासों को किराये पर देने के दो प्रकार हो सकते हैं और ऐसे मामलों में निम्नवत कार्रवाई की जानी चाहिए-

किसी बाहरी व्यक्ति को आवासों को पूर्ण-रूपेण किराये पर देना : ऐसे मामलों में सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध, उसके द्वारा रेलवे अथवा सरकारी कर्मचारी द्वारा विपरीत आचरण में सम्मिलित हो कर रेलवे सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 3.1(।।।) के उल्लंधन के आधार पर उसके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए तथा पब्लिक प्रेमिसेज (इविक्शन एण्ड अनआथोराइज्ड आकुपेण्ट्स) ऐक्ट, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवास को शीघ्रतापूर्वक खाली करने के लिए किराये पर देने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आवास को खाली करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी जानी चाहिए। विचारित

रूप में आंशिक रूप में आवासों को किराये पर देने पर भी उपरोक्त प्रक्रिया ही अपनायी जानी चाहिए तथा आवास का किराये पर दिया हुआ भाग खाली करा कर दूसरे रेलवे कर्मचारी को आवंटित कर दिया जाना चाहिए। उपरोक्त दोनों मामलों में आदेशों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को नियत चेतावनी देने के बाद अनुशासनिक जांच के निस्तारण तक उससे पैनल/बाजार दर, जैसी स्थिति हो, किराया लिया जायेगा।

<u>आवासों का व्यापारिक प्रयोजन से इस्तेमाल :</u> रेलवे कर्मचारियों को आवंटित रेलवे आवासों का रहने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता है। रेलवे आवासों का दुरूपयोग रोकने हेतु किये गये प्रावधानों में यह स्पष्ट उल्लेख है। आवास-नियमों के उल्लंघन के एवज में अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही के अतिरिक्त आवासों का आवण्टन भी निरस्त हो सकता है।

<u>सेवारत पति/पत्नि को रलवे आवासों के आवंटन का नियमन :</u>

राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों को यदि एक ही स्टेशन पर रलवे नियमों के अनुसार अलग-अलग रेलवे आवास आवण्टित है और यदि वे दोनों आपस में विवाह कर लेते है, तो ऐसी दशा में आवासों का नियमन निम्नवत किया जायेगा।

किसी रेलवे क्र्चारी को रेलवे आवास आवण्टित नहीं किया जायेगा यदि युग्म (पति/पत्नि) में से किसी को उसी स्टेशन पर रेलवे आवास आवंटित है। यह नियम तब लागू नहीं होगा जब पति और पत्नि किसी न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रूप से अलग-अलग रह रहे हो।

यदि पति और पत्नि रेलवे नियमों के अनतर्गत एक ही स्टेशन पर आवंटित आवासों में अलग-अलग रह रहे हों और आपस में विवाह कर लेते है, तो उनमें से एक आवास को विवाह के एक महीने के भीतर सरेंण्डर कर देना होगा।

जहां पत्नि और पत्नी एक ही स्टेशन पर अलग-अलग आवासों में रह रहे हों, जिनमें से एक को रेलवे नियामें के अन्तर्गत आवास आवंटित है और दूसरें को किसी दूसरे सरकार विभाग कका कर्मचारी होने के नाते अलग पूल का आवास आवंटित है तो उनमें से एक को विवाह के एक महीने के भीतर अपना आवास अभ्यर्पित करना होगा।

यदि उपरोक्त वर्णित निमयानुसार आवास खाली नहीं किया जाता है तो ऐसी अवधि के समाप्त होने पर रेलवे आवास को निरस्त माना जायेगा। पति अथवा पत्नी में से किसी एक का दूसरे स्टेशन के लिये स्थानान्तरण हो जाने के दशा में वह, जैसी स्थिति हो, सम्बन्धित नियमों के अन्तग ॅत रेलवे आवास के आवंटन हेतु पात्र होगा।

<u>किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के बाद आवासों का बिना पारी के आधार पर आवण्टन :</u>

जब कोई रेलवे कर्मचारी, जिसे रेलवे आवास उपलब्ध कराया गया हो, सेवावधि की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होवे अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेवे अथवा सेवा के लिये आयोग्य घोषित हो जाये अथवा सेवाकाल के

दौरान उसकी मृत्यु हो जाये तो उसके पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति अथवा पिता को बिना वारी के आधार पर रेलवे आवास आवंटित किया जा सकता है बशर्ते आश्रित सम्बन्धी रेलवे कर्मचारी हो औोर रेलवे आवास के लिये पात्र हो तथा सेवानिवृत्त होने वाले अथवा मृत रेलवे कर्मचारी के साथ संयुक्त रूप से कम से कम पिछले छःमाह से रह रहा हो और इस अवधि के दौरान उसने मकान किराया भत्ता हेतु दावा न किया हो। कम्रचारी की माता सहित उपरोल्लिखित सम्बन्धी, जो उपरोल्लिखित शर्ते पूरी करते हों तथा यदि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त हुए हो, बिना वारी के आवास आवंटन हेतु पात्र होंगे बशर्ते मृत्यु, अशक्तता आदि की तिथि तथा आवास आवंटन की तिथि केबीच का समयान्तराल 24 महीने से उपर न हो। साथ ही यह भी शर्त रहेगी कि नौकनी पाने वाला पात्र आश्रित, भवन-स्वामी न होने सहित अन्य शर्ते भी पूरी करता हो। अनुमत अवधि से उपर का अनाधिकृत अधिग्रहण नियमित नहीं किया जा सकेगा।

पात्र सम्बन्धि के नाम से वही आवास केवल तभी नियमित किया जोगा यदि वह उस प्रकार के आवास अथवा उच्चतर आवास के लिये पात्र हो। दूसरे अन्य मामलों में हकदार श्रेणी अथवा उससे ठीक नीचे की रेणी का आवास आवंटित किया जाना है। परन्तु शर्त यह है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों सहित सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य का, उसकी नियुक्ति के स्थान पर यदि अपना निजी मकान है तो विनिर्दिष्ट सम्बन्धी, बिना पारी के आवास आवंटन हेतु पात्र नहीं होगा।

<u>विवाहित पुत्रियों के मामले में नियम में छूट :</u>

यदि किसी रेलवे आवास के आवंटी के पास कोई पुत्र नहीं है अथवा ऐसी स्थिति में जब केवल विवाहित पुत्री ही एक मात्र आश्रित है जो अपने माता-पिता की देख-भाल के लिये तैयार है तथा उसके पुत्र अवयस्क होने के कारण उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी विवाहित पुत्रियों को बिना पारी के आवास आवंटन की सुविधा दी जा सकती है।

<u>रेलवे अधिकारी के स्थानान्तरण के दशा में, जिसे रेलवे आवास आवंटित है, उसकी पत्नी/उसके पति को वैकल्पक आवास का आवंटन/रेलवे आवास का नियमन :</u>

यदि रेलवे कर्मचारी की पत्नि/उसका पति रेलवे आवास के आवंटन के लिये पात्र है तो उसके पक्ष में रेलवे आवास का नियमन किया जा सकता है, चाहे भले ही वह प्राथमिकता की तिथि के अनतर्गत न आती/आता हो। यदि वह निम्नतर टाइप के आवास के लिये पात्र है तो उसे अगली उपलब्ध रिक्ति के आधार पर उसकी पात्रता के अनुसार निम्नतर टाइप का वैकल्पिक आवास आवंटित किया जा सकता है। सम्भव सीमा तक ऐसा आवंटन निकटस्थ क्षेत्र में पडने वाले उसकी क्षेत्र में किया जाना चाहिए। पात्र टाइप के आवास को रोकने/नियमन की अनुमति आवंटिती के स्थानान्तरण के बाद उस स्टेशन पर रह गये उसकी पत्नी/उसके पति के पक्ष में दी जा सकती है , चाहे भले ही उसकी प्राथमिकता न बनती हो।

7.	कर्मचारी हित निधि	STAFF BENEFIT FUND

रेलों पर कर्मचारियों के हित की विविध योजनाओं चलाने के लिऐ 1931 से कर्मचारी हित निधि (स्टाफ बेनिफिट फंड) की व्यवस्था है। यह निधि शिक्षा, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, स्काउट एवं खेलकूद के अतिरिक्त उपचार की देशी पद्वतियों के बढावा देने के लिए स्थापित की गई है। इस निधि में जुर्मानों से प्राप्त सभी रकमें, जब्त भविष्य निधि व बोनस की राशि के अलावा वर्ष 2014-15 से प्रत्येक वर्ष 1 अप्रेल को रेलवे राजस्व से प्राप्त वार्षिक अनुदान राशि जो प्रति व्यक्ति रूपये 800 की दर से समूह ग व घ कर्मचारियों की 31 मार्च को विद्यमान स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों की संख्या पर आधारित होती है। इस राशि का वितरण निम्नप्रकार है।

क्र.सं.	शीर्षक	आवंटन	क्षेत्र
1	शिक्षा : 2400 रूपये से अधिक ग्रेड पे में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों के आश्रितों के लिये उच्च तकनीकी/ व्यवसायिक शिक्षा के लिये 1500 रूपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति।	116	2400 रूपये से अधिक ग्रेड पे में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों के आश्रितों के लिये उच्च तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा के लिये।
2	2400 रूपये तक के ग्रेड पे के कर्मचारियों की लडकियों के लिये उच्च तकनीकी/वृत्तिका शिक्षा के लिये 1500 रूपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति।	110	2400 रूपये तक के ग्रेड पे के कर्मचारियों की बच्चियों की उच्चतर तकनीकी/व्यवसायिक /डिप्लोमा/डिग्री शिक्षा हेतु।
3	2400 ग्रेड पे के कर्मचारियों के लडकों की उच्चतर तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा के लिये 1500 प्रतिमाह की दर से छात्रवृति	100	2400 रूपये तक के ग्रेड पे के कर्मचारियों के लडकों की उच्चतर तकनीकी/व्यवसायिक /डिप्लोमा /डिग्री शिक्षा हेतु।
4	सेमिनार, कैम्प, प्रशिक्षण कार्यक्रम अादि के आयोजन सहित महिला सशक्तिकरण गतिविधियॉ	28	आश्रय स्थलो, महिला रेल कर्मचारियों की संरक्षा व्यवस्था तथा रेलवे द्वारा शुरू की गई सुविधाओं हेतु सहायता।
5	खेल के अलावा अन्य मनोरंजन	32	कर्मचारियों/आश्रितों के अवकाश गृहों, कैम्पों आदि के लिये मनोरंजन की सुविधाओं एवं जिम उपकरणों का क्रय
6	संस्थानों और क्लबों आदि में मनोरंजन सुविधाएं	36	संस्थानों और क्लबों आदि में मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
7	सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन	16	आवासीय कॉलोनियों, मण्डलों एवं विधालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा उपकरणों का क्रय/रख-रखाव आदि।
8	4600 ग्रेड पे तक के कर्मचारियों की विपत्ति, बीमारी आदि में राहत	120	दुर्घटनाओं तथा लम्बी अवधि से अस्पतालों में भर्ती (जिनके खाते में कोई अर्जित अवकाश अथवा अर्द्व औसत अर्जित अवकाश न हो) रेलवे कर्मचारियों

			को तात्कालिक आर्थिक सहायता की जरूरत हो, उन्हें सहायता की उच्च राशि स्वीकृत करना।
9	खेलकूद गतिविधियॉ	30	अद्यतन खेल उपकरणों एवं स्कूलों, संस्थानों तथा क्लबों में प्रशिक्षण देकर खेलों को प्रोत्साहन देना।
10	स्काउट एवं गाइड गतिविधियॉ	22	सम्पूर्ण भारतीय रेलों पर प्रशिक्षण सुविधा का विस्तार।
11.	होम्योपैथी सहित चिकित्सा की देशी पद्वति	36	होम्योपैथी सहित चिकित्सा की देशी पद्वति
12.	बाढ, तुफान, भूस्खलन, आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के समय तत्कालिक राहत	24	बाढ, तुफान, भूस्खलन, आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के समय तत्कालिक राहत उपलब्ध करवाना।
13.	विकलांग कुर्सी, अन्य सहायक उपकरणों, विशेष साफ्‌ट वेयर आदि तथा कार्यशालाओं सेमिनारों, कैम्पों आदि के आयोजन सहित रेलवे कर्मचारियों एवं उनके शारीरिक/मानसिक रूप से पीडित आश्रितों, विशेषकर बालिकाओं के व्यवसायिक कौशल को विकसित करने हेतु	50	विकलांग कुर्सी, अन्य सहायक उपकरणों, विशेष साफ्‌ट वेयर आदि तथा कार्यशालाओं सेमिनारों, कैम्पों आदि के आयोजन सहित रेलवे कर्मचारियों एवं उनके शारीरिक/मानसिक रूप से पीडित आश्रितों, विशेषकर बालिकाओं के व्यवसायिक कौशल को विकसित करने हेतु सहायता उपलब्ध करवाना।
14.	विविध	80	अवकाश गृहों, विश्राम गृहों, मनोरंजन सुविधाओं यथा- रंगीन टी.वी., विधुत उपकरणों आदि में सुधार के लिये सहायता तथा इन सुविधाओं पर होने वाले व्यय के लिये निधि का रख रखाव।

8. सेवानिवृत्ति लाभ RETIREMENT BENEFIT

विभिन्न स्थितियों एवं सेवानिवृत्ति के प्रकारों के लिये देय लाभ नीचे दिये हुये टेबल में दर्शाये गये है तथा संबंधित जानकारी/लाभ प्राप्त करने की शर्ते आगे के पैरा में उपलब्ध करायी गयी है।

क्र.स.	लाभ	सेवानिवृत्ति (60 वर्ष की आयु पर)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	मृत्यु	निष्कासन / पदच्युति	त्यागपत्र	अनिवार्य सेवानिवृत्ति	निःशक्तता
1.	भविष्य निधि	√	√	√	√	√	√	√
2.	डीसीआरजी	√	√	√	X	X	√	√
3.	समूह बीमा योजना	√	√	√	√	√	√	√
4.	पेंशन	√	√	X	X	X	√	X
5.	पेंशन का सांराशिकरण (स्वेच्छिक)	√	√	X	X	X	√	√
6.	क्षतिपूर्ति/ निःशक्तता पेंशन	X	X	X	X	X	X	√
7.	अनुकम्पा भत्ता	X	X	X		X	X	X
8.	परिवार पेंशन	√	√	√	X	X	√	√
9.	अवकाश का नकदीकरण	√	√	√	X	√	√	√
10.	सीटीजी	√	√	√	X	X	√	√
11.	मानार्थ पास	√	√	√	X	X	√	√
12.	विधवा पास	√	√	√	X	X	√	√
13.	सेटिलमेंट पास	√	√	√	X	X	√	√
14.	आरईएलएचएस	√	√	√	X	X	√	√
15.	सत्तत परिचर भत्ता	√	√	√	X	X	X	√
16.	अंतिम संस्कार अग्रिम	X	X	√	X	X	X	X
17.	गोल्ड प्लेटेड चांदी का मेडल	√	√	X	X	X	√	√
18.	रेलवे के अवकाश गृह /विश्राम गृह	√	√	X	X	X	√	√
19.	रेलवे आवास रोकना	√	√	√	X	X	√	√
20.	अनुकंपा नियुक्ति	X	X	√	X	X	X	√

1.	पेंशन	PENSION

यह रेल कर्मचारी के लिए उनकी सेवानिवृत्ति पर दिया जानेवाला मासिक वेतन है जिनकी अर्हक सेवा दस वर्ष से कम न हो, पेंशन की राशि कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम मूल वेतन वेतन पर आधारित है। उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह घोषित किया है कि पेंशन किसी व्यक्ति को शिष्ट, स्वतंत्र और आत्म सम्मान के साथ जीने और सेवानिवृत्ति पूर्व स्तर के समकक्ष जीने के लिए मददगार है, पेंशन उदारदान नहीं है जिसे सरकार के सदभाव और चाह पर भुगतान किया जाता है, अधिवार्षिता का अधिकार,इसकी राशि सहित एक ऐसा अमूल्य अधिकार है जो सरकारी सेवक के पास निहित है।

- **पेंशन नियम निम्नलिखित के लिए लागू है :**
  1. 16.11.1957 को और उसके बाद सेवा में रहने वाले कर्मचारी जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है।
  2. वे सभी कर्मचारी जो 01.01.1986 से एसआरपीएफ (अंशदायी) नियमों के अधीन शासित नहीं होते।
  3. यह पेंशन योजना केवल उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जिनकी नियुक्ति 31.12.2003 तक हुई है। 01.01.2004 से लागू राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के अधीन आने वाले कर्मचारियों के लिए यह लागू नहीं होगा।

- **पेंशन के प्रकार**
  - **अधिवार्षिता पेंशन :** अधिवार्षिता पेंशन ऐसे रेल सेवक को प्रदान की जाती है जो कि निर्धारित आयु प्राप्त कर लेने पर रेल सेवा से सेवानिवृत्त होता है। न्यूनतम 10 वर्ष (09 वर्ष 09 माह) की अर्हक सेवा पूर्ण होने पर अधिवार्षिता पेंशन देय होगी अन्यथा अधिवार्षिता पेंशन देय नहीं होगी, उन्हें इसके एवज में सर्विस ग्रेच्युटी(सेवा उपदान) जो कि प्रत्येक 06 माह पर 1/2 माह की परिलब्धिता के बराबर राशि होगी वह देय होगी।
  - **सेवानिवृत्ति पेंशन :** यह पेंशन निम्नलिखित मामलों में स्वीकृत्त की जाती है।
    1. जब कोई रेल सेवक बीस साल की अर्हक सेवा के बाद स्वंय के अनुरोध पर रेल सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होता है।
    2. जब कोई रेल सेवक 55 वर्ष की आयु अथवा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात प्रशासनिक हित में सेवानिवृत्त किया जाता है।
  - **अशक्तता पेंशन :** अशक्तता पेंशन ऐसे रेल सेवक के लिए स्वीकृत की जाती है जो चिकित्सा आधार पर या सभी चिकित्सा श्रेणियों के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो या विकोटिकृत होने के कारण सेवानिवृत्त हो गया हो। अशक्तता पेंशन के लिये 10 वर्ष या अधिक की अर्हक सेवा होना आवश्यक है। इसकी मंजूरी के लिए कर्मचारी को विधिवत गठित चिकित्सा प्राधिकरण से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  - **प्रतिकर पेंशन :** यदि किसी रेल सेवक को उसके द्वारा धारित स्थायी पद के समाप्त होने के कारण सेवा से डिस्चार्ज करने हेतु चुना जाता है, तो जब तक उसे दूसरे पद पर तैनात नहीं किया जाता

तब तक प्रतिकर पेंशन दी जाएगी। उसके स्थायी पद के समापन के कारण उसे डिस्चार्ज करने से 03 महीने पहले उसे नोटिस देना आवश्यक है।

- **<u>अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन :</u>**ऐसे कर्मचारियों को, जो शास्ति भुगत रहे हों और शास्ति के रूप में अनिवार्यतः सेवानिवृत्त हुए हो, अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन मंजूर की जा सकती है, इस पेंशन को ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जिनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए शक्तियां प्रदत्त की गई है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन के लिये न्यूनतम दस या अधिक वर्ष की अर्हक सेवा आवश्यक है।
- **<u>अनन्तिम पेंशन :</u>**जब किसी रेल सेवक की सेवानिवृत्ति के समय उसके विरूद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लम्बित हो तो सेवानिवृत्ति पर उसे अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की जाती है जो अधिकतम देय पेंशन से अधिक नहीं होती है। जब तक मामलों का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक सेवा उपदान का भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
- **<u>अनुकंपा भत्ता :</u>** ऐसे रेल कर्मचारी को अनुकंपा भत्ता मंजूर किया जाता है जिसे सेवा से बरखास्त या हटाया गया हो, बशर्ते कि यह राशि अधिवार्षिकी पेंशन या उपदान या दोनों की दो-तिहाई की अधिकतम राशि तक हो, सेवा से बरखास्त या हटाए गए कर्मचारी सामान्य पेंशन और उपदान के लिए हकदार नही होंगे।

- **पेंशन की गणना**

कर्मचारी द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत या औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत जो भी अधिक हो पर पेंशन की गणना की जाती है। दिनांक 01.01.2016 से न्यूनतम पेंशन 9000 रूपये तथा अधिकतम 1,25.000 रूपये है।

<u>गैर-रनिंग कर्मचारियों के लिए फार्मूला :</u> मूल पेंशन : मूल वेतन/2 + महंगाई राहत

<u>रनिंग कर्मचारियों के लिए फार्मूला :</u> रनिंग कर्मचारियों के मामलें में परिलब्धियों की गणना के लिए वेतन, एलिमेंट में वेतन का 55 प्रतिशन भी शामिल है। अतः मूल पेंशन : मूल वेतन+मूल वेतन का 55 प्रतिशत/2 + महंगाई राहत। महंगाई राहत कर्मचारी के मूल पेंशन के आधार पर ही दिया जाएगा जिसमें समय-समय पर परिवर्तन होता है, इस महंगाई राहत का भुगतान संराशिकृत मूल्य को बिना घटाए मूलतः स्वीकृत पेंशन की राशि के आधार पर किया जाएगा।

<u>पेंशन के लिए कौन अर्हक होंगे :</u> स्थायी कर्मचारी जो अधिवार्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/अयोग्य पाए जाने पर सेवानिवृत्त होते है या जो 10 वर्ष से अधिक अर्हक सेवा कर सेवानिवृत्त होते है। अस्थायी कर्मचारी, जो 10 वर्ष से अधिक अर्हक सेवा कर अधिवार्षिता या अयोग्य पाए जाने पर सेवानिवृत्ति होते है या जो 20 वर्ष या अधिक अर्हक सेवा करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते है।

पेंशन का संराशीकरण : कर्मचारी जो अधिवार्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे पेंशन का 40 प्रतिशत बिना चिकित्सा परीक्षण के संराशिकरण करा सकते हैं। यह एक मुश्त भुगतान है। चिकित्सा अस्वस्थता/दंड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में और उन्हें जिन्होंने उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर संराशीकरण के लिए आवेदन नहीं दिया है, को चिकित्सा परीक्षण के बाद ही, भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संराशिकरण के लिए आवेदन दिया जाए।

पेंशन का संराशीकरण की गणना : एक मुश्त संराशीकृत मूल्य, पेंशन के संराशीकृत हिस्से को अगले जन्मदिन की आयु से सुसंगत फैक्टर × 12 से गुणा करने पर प्राप्त होगा।

फार्मूला : पेंशन का 40 प्रतिशत × 12 × अगले जन्मदिन की आयु की संराशीकृत मूल्य।

पेंशन के संराशीकृत मूल्य की बहाली : संराशीकरण प्रभावित होने की वास्तविक तारीख से 15 वर्ष पूरी करने की तारीख को पेंशन की संराशिकृत मूल्य की बहाली के लिए पेंशनभोगी पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आवेदन करने के हकदार होंगे। परिवार पेंशन पर संराशीकरण का कोई प्रभाव नहीं होता है। 15 वर्ष पूर्ण होने से पहले कर्मचारी की मृत्यु के मामलें में परिवार को कर्मचारी के पेंशन में संराशीकृत राशि की कटौती के बिना योग्यता के अनुसार पूरा परिवार पेंशन मिलेगा।

वृद्व पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को देय पेंशन/परिवार पेंशन की राशि में निम्नानुसार वृद्धि की जाए।

क्र.सं.	पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी की आयु	पेंशन की अतिरिक्त राशि
1.	80 वर्ष से अधिक एवं 85 वर्ष से कम आयु तक	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 20 प्रतिशत
2.	85 वर्ष से अधिक एवं 90 वर्ष से कम आयु तक	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 30 प्रतिशत
3.	90 वर्ष से अधिक एवं 95 वर्ष से कम आयु तक	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 40 प्रतिशत
4.	95 वर्ष से अधिक एवं 100 से कम आयु तक	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 50 प्रतिशत
5.	100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत

2. परिवार पेंशन योजना

परिवार पेंशन योजना दिनांक 01.01.1964 से लागू है। यह एक सामाजिक सुरक्षा लाभ है, जिसे कर्मचारी की मृत्यु होने के मामले में, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि मृत्यु सेवा के दौरान हुई या सेवानिवृत्ति के बाद हुई है। रेल कर्मचारी/महिला कर्मचारी की जीवित विधवा/विधुर या नाबालिग बच्चे, पूर्णतः आश्रित माता पिता को मासिक तौर पर दिया जाता है। यह सेवा से हटाया गये/बरखास्त किए गए कर्मचारियों के परिवारों को भी दिया जाता हैं, यदि वे मृत्यु के समय अनुकंपा भत्ते प्राप्त कर रहें हो। सेवानिवृत्ति पति/पत्नि भी परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे। 25 वर्ष की आयु के पश्चात भी पुत्र/पुत्री को यह पेंशन आजीवन उस परिस्थिति में देय है जबकि वह शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त हो।

<u>परिवार पेंशन का परिकलन</u>: परिवार पेंशन की राशि का परिकलन वेतन का 30 प्रतिशत की दर पर (वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड वेतन) किया जाता है, जो न्यूनतम 9000 रूपये+ समय समय पर अनुमेय महंगाई राहत की शर्त पर है। सामान्य दरों पर परिवार पेंशन की स्वीकृति पर ध्यान दिए बिना अर्हक सेवा की गणना की जाएगी। सेवाकाल के दौरान मृत रेल कर्मचारी के परिवार को देय बढाई गई परिवार पेंशन की अवधि को उच्चतर आयु सीमा के बिना दस वर्षो तक आगे बढायी जानी है। 01.01.2006 को बढाई गई परिवार पेंशन प्राप्त परिवार पेंशनभोगियों को भी इस प्रावधान में शामिल किया गया है।

<u>परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवार सदस्यों की हकदारी :</u>

- विधवा/विधुर, न्यायिक रूप से अलग हुए पत्नि को शामिल कर, उनकी मृत्यु या पुनः विवाह होने तक, जो भी पहले हो।
- पुत्र/अविवाहित पुत्री (जुडवे बच्चों के मामलें में समान हिस्सा) उनके जन्मतिथि के क्रम में 25 वर्षो की आयु प्राप्त करने तक। पुत्र या पुत्री को प्रदस्त परिवार पेंशन, तभी बंद होगा, जब वह 2550 रूपये से अधिक मासिक आय का अर्जन कर रहा/रही हों।
- यदि न्यायिक रूप से , एक से अधिक पत्नी हों, तो सभी पत्नियों के लिए समान राशि दी जाएगी और एक विधवा की मृत्यु होने पर उनका हिस्सा, उनके पात्र बच्चे को दिया जाएगा अन्यथा दूसरी विधवा पत्नी को पूर्णतः दिया जाएगा।
- दिनांक 01.01.1998 से मृतक कर्मचारी के माता पिता को उनकी मृत्यु होने तक परिवार पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे बशर्ते कर्मचारी अपने पिछे पत्नी तथा बच्चे छोडकर नहीं मरा हो तथा माता पिता की आय 2550 रूपये प्रतिमाह से अधिक न हो।
- सौतेली मॉ परिवार की परिभाषा में नहीं आती अतः वह परिवार पेंशन की हकदार नहीं है।
- जब कोई कर्मचारी अचानक गायब हो जाए या आतंकवादी पकड ले जाएं और उसका पता न चल सकें तो पुलिस में एफ.आई.आर. दायर करने के छह महीने के बाद पात्र परिवार के सदस्य को परिवार पेंशन दी जा सकती है।
- **<u>विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को परिवार पेंशन मंजूर किए जाने की पात्रता :</u>** 25 वर्ष की आयु के उपरांत किसी विधवा/तलाकशुदा पत्री को परिवार पेंशन दिए जाने से संबंधित प्रावधान दिनांक 30.08.2004 से किया गया है। परिवार पेंशन हेतु 25 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बारी, उनके माता/पिता अर्थात् पेंशनभोगी और उसकी पत्नि/पति की मृत्यु या पुनर्विवाह के उपरांत आती है। उसके बाद , विकलांग बच्चों को जीवनपर्यत परिवार पेंशन देय होती है, और उसके बाद 25 वर्ष से अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों कों। केवल वही बच्चे, जो आश्रित है और सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नि/पति की मृत्यु के समय, जो भी बाद में हो, परिवार पेंशन पाने की अन्य शर्ते पूरी करते हैं, वे परिवार पेंशन के पात्र है तो प्रत्येक बच्चे को उसकी बारी के अनुसार परिवार पेंशन देय होगी बशर्ते अपनी बारी आने पर भी वह परिवार पेंशन पाने का/की पात्र हो। इस प्रकार विधवा/तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार पेंशन देय है बशर्ते अपने माता-पिता की

मृत्यु/अपात्रता के समय और परिवार पेंशन प्राप्त करने की अपनी बारी आने वाले दिन वह पात्रता की सभी शर्ते पूरी करती हो। परिवार पेंशन केवल तभी तक जारी रहेगी, जब तक वह पुनः विवाह नही कर करती है या न्यूनतम परिवार पेंशन और उस पर दिए जाने वाली महंगाई राहत के योग के बराबर या उससे अधिक आजीविका कमाना शुरू नहीं कर देती है।

तलाकशुदा पुत्री को परिवार पेंशन स्वीकृत की जाये जहां किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नि/पति के जीवन काल में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गई थी और उनकी मृत्यु के उपरांत तलाक हुआ था बशर्ते अन्य शर्ते पूर्ण करती हो। ऐसे मामलों में परिवार पेंशन तलाक की तिथि से आरंभ होगी।

3. सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान

रेल सेवक को सेवानिवृत्ति उपदान उसके द्वारा 05 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर देय होता है। यह राशि प्रत्येक आधे वर्ष पर 1/4 माह की परिलब्धियों के बराबर लेकिन किसी भी स्थिति में 16-1/2 माह की परिलब्धि से अधिक देय नहीं होगी। दिनांक 01.01.2016 से उपदान की अधिकतम राशि 20 लाख रूपये होगी। महंगाई राहत के 50 प्रतिशत होने पर उपदान की राशि 25 प्रतिशत बढ जायेगी। प्रशासनिक कारण से ग्रेच्युटी के भुगतान में यदि तीन माह से ज्यादा विलम्ब होता है तो प्रोविडेंन्ट फंड पर मिलने वाले निर्धारित ब्याज की दर से ब्याज देय होगा। डीसीआरजी के लिए अंतिम रूप से गणना की गई राशि को अगले उच्च रूपयों में गुणकों में Round Off कर दिया जायेगा। सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के मामलों में अधिकतम 33 वर्ष की अर्हक सेवा का लाभ ही गणना में लिया जाता है। यदि किसी रेल सेवक की सेवा में रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु उपदान निम्नानुसार देय होगा।

1.	एक वर्ष से कम सेवा	परिलब्धि का दूगना
2.	एक वर्ष व अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	परिलब्धि का छः गुना
3.	पांच वर्ष व अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	परिलब्धि का बारह गुना
4.	11 वर्ष व अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धि का बीस गुना
5.	20 वर्ष या उससे अधिक सेवा	प्रत्येक छः माह पर आधे माह की परिलब्धि लेकिन अधिकतम 33 माह की परिलब्धि तक जिसकी अधिकतम राशि दस लाख रूपये है।

4. भविष्य निधि

कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय इसका भुगतान ब्याज सहित किया जाता है क्योंकि यह राशि स्वंय कर्मचारी का अंशदान होता है। कर्मचारी किसी कारणवश मरने के मामले में, सेवांत भुगतान में विलम्ब होने से बचने के लिए नामांकन कर सकता है। यदि वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करता हो तो, प्रत्येक को भुगतान किए जाने वाले हिस्सों का प्रतिशत भी उल्लेख करेगा। ण

5.	के.स.क.समूह बीमा योजना (बचत निधि मूल्य ब्याज सहित)

समूह बीमा योजना 01.01.1982 से लागू हुई है। दिनांक 01.11.1980 के बाद रेलवे सेवा जाइन करने वाले कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य है। सेवा के दौरान रेल कर्मचारी की मृत्यु के मामलें में बीमा निधि से समूह घ, ग, ख तथा क के कर्मचारियों के परिवार को क्रमश : 15000, 30000, 60000 एवं 120000 रूपये की राशि देय होगी। नियोजन की समाप्ति पर कर्मचारी को बचत निधि से, निधि में जमा अंशदान की राशि के समान राशि, ब्याज सहित, लौटायी जाएगी। मृत्यु के मामलें में बीमा की राशि के अलावा उपर बताए अनुसार बचत निधि में जमा राशि का भी भुगान किया जाएगा। एक समूह से दूसरे समूह में कर्मचारी की पदोन्नति होने पर, पदोन्नति वर्ष के अगले वर्ष की पहली जनवारी से उच्चतर दर पर अंशदान वसूल किया जाएगा। दिनांक 01.01.1988 से अंशदान को बीमा निधि और बचत निधि के बीच क्रमश : 30 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत की दर पर विभाजित किया जाएगा। बीमा की राशि को रोका नहीं जा सकता और वित्तीय संस्थानों से गृह निमार्ण अग्रिम के कारण कर्मचारी द्वारा देय राशि के अलावा अन्य कोई सरकारी बकाया राशि इस राशि से वसूल नहीं किया जा सकता।

6.	अवकाश नकदीकरण

यह सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय, उपयोग नहीं की गई छुट्टी के लिए एक बार किया जाने वाला एकमुश्त भुगतान है। यह अधिकतम 300 दिनों की औसत वेतन छुट्टियों तक सीमित है। 300 दिनों की औसत वेतन छुट्टी में कमी होने के मामले में, छुट्टी नकदीकरण के प्रयोजन के लिए, कमी को पूरा करने के लिए उनके खातें में जमा अर्द्ध औसत अर्जित अवकाश को लिया जाएगा। अर्द्ध औसत वेतन अवकाश के लिये आधे वेतन के समान की राशि दी जाएगी।

7.	कंपोजिट स्थानान्तरण अनुदान

सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी और उनका परिवार और कर्मचारी की मृत्यु के मामलें में उनके परिवार के सदस्य, उनके सेवा के अंतिम स्टेशन के अलावा अन्य स्थान पर , जो 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो, में बसने के लिए कंपोजिट स्थानान्तरण अनुदान के पात्र होंगे, कंपोजिट स्थानान्तरण अनुदान के लिए आवेदन सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिया जाए। आवेदन करने में एक वर्ष से अधिक और 2 वर्षो तक की अवधि में हुए विलंब के लिए अपर महाप्रबंधक को माफ करने की शक्ति प्रदत्त हैं।

8.	रेलवे क्वार्टरों को रोक रखना (केवल निर्धारित समय के लिये):

स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी सहित सेवानिवृत्त कर्मचारी को सामान्य किराये की दर के भुगतान पर पहले चार महीने के लिए और अनुरोध के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विशेष लाईसेंस शुल्क अर्थात् किराया का दुगना किराये के भुगतान पर शैक्षिक या चिकित्सा आधार पर अगले चार महीनों के लिए रेलवे आवास रोके रखने की अनुमति दी जा सकती है। सेवानिवृत्त होने वाला रेल कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय अपने पुत्र/पुत्री जो कि रेल कर्मचारी है के नाम रेलवे क्वार्टर आवंटित करा सकता है बशर्ते की पुत्र/पुत्री पिछले छ महीने से उसमें रह रहा हों तथा पुत्र/पुत्री उस टाइप के क्वार्टर के लिए पात्र हों।

9.	**सेवांत पास**

रेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय या कर्मचारी के मृत्यु होने पर विधवा/विधुर को स्वंय और परिवार के सदस्यों/आश्रित संबंधियों का निजी सामान के परिवहन के लिए, जहां वह सेवानिवृत्ति/मृत्यु के बाद बसना चाहते हों, पास जारी किया जाए। सेवांत पास के आवेदन, सेवानिवृत्ति की तारीख, या कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

10.	**से.क.उ.स्वा.योजना 1997 के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाए**

इस योजना के अन्तर्गत शामिल सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को रेलवे चिकित्सा उपस्थिति नियम के अंतर्गत सेवारत कर्मचारियों को यथा स्वीकार्य पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी। यह योजना रेल कर्मचारियों के पति/पत्नि के लिए भी लागू होगी, जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो। इस योजना में शामिल होने के लिए दिनांक 01.01.2016 से विकल्प देनेवाले को सेवानिवृत्ति के समय एक बारगी अंशदान के रूप में अंतिम माह का मूल या निम्नलिखित राशि जो कम हो देनी होगी। भुगतान नकदी के रूप में या उपदान से काटने के प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना में शामिल होने पर, उन्हें सभी लाभ उठाने वालों के फोटो के साथ पहचान पत्र रखना होगा।

क्र.सं.	लेवल	राशि
1.	01 से 05	30,000 रूपये
2.	06	54,000 रूपये
3.	07 से 11	78,000 रूपये
4.	12 एवं ज्यादा	1,20,000 रूपये

पीएस नम्बर 14600/26 के द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर रेलवे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशन भोगियों को दिनांक 01.07.2017 से नियत चिकित्सा भत्ता 500 रूपये से बढाकर 1000 रूपये कर दिया गया है।

10.	***अनुकंपा भत्ता***

ऐसे रेल कर्मचारी को अनुकंपा भत्ता मंजूर किया जाता है, जिसे रेल सेवा से बरखास्त या हटाया गया हो। अनुकंपा भत्ता की राशि अधिवार्षिक पेंशन या उपदान या दोनों की दो-तिहाई की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होंगी। सेवा से बरखास्त या हटाए गए कर्मचारी सामान्य पेंशन और उपदान के लिए हकदार नहीं होंगे। अनुकंपा भत्ता पेंशन की श्रेणियों में से एक होता है और पेंशन की किसी श्रेणी को मंजूर करने के लिए दस वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा पूर्व अपेक्षित शर्त है इसलिए अनुकंपा भत्ता मंजूर करने से पूर्व उस व्यक्ति की दस वर्ष की अर्हक सेवा अवश्य होनी चाहिए। अनुकंपा भत्ता या उपदान या दोंनों प्रदान करने अथवा इंकार करने का निर्णय रेल पेंशन नियम 1993 के नियम 65 में दिए गए दिशा-निर्देशों की ध्यान में रखते हुए हटाने/पदच्युत करने के आदेश पारित करते समय लिया जाए। यदि हटाने/पदच्युत करने के आदेश पारित करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुकंपा भत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया जाता है तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष संबंधित सक्षम प्राधिकारी को संबद्ध सूचना/दिशा-निर्देशों सहित मामले की फाईल को पुनः प्रस्तुत करेगा और अनुकंपा भत्ता या उपदान अथवा दोनों की मंजूरी के लिए अथवा उसके खिलाफ उनका निर्णय प्राप्त करेगा।

11.	**सेवा उपदान :**

सेवा उपदान उन रेल कर्मचारियों को दिया जाता है जो 10 साल की सेवा पूरी होने के पहले ही सेवा से निकल जाते है। दूसरे शब्दों में जो कर्मचारी 10 साल से कम सेवा करते है वे पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे दूसरे तरफ वे पेंशन के बदले सेवा उपदान के लिए पात्र होंगे। यह राशि सेवानिवृत्ति उपदान, पात्र हो तो, के अतिरिक्त दी जाती है। इसमें महंगाई भत्ते को भी शामिल किया जाता है। अर्ह सेवा को प्रत्येक पूर्ण छ माही के लिए महीने की कुल परिलब्धि की आधी की दर से इसका परिकलन किया जाता है।

12.	आपातकालीन स्थितियों में कैशलेस उपचार योजना

रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या 2014/H/28/1 smart card/Part A दिनांक 14.07.2016 द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उसके परिवार के लिये आपातकालीन स्थितियों में कैशलेस उपचार योजना आरंभ की गयी है। इस योजना को अखिल भारतीय आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके परिवार के लिए लागू किया गया है। इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी भी स्थान से सेवानिवृत्त हुआ हो, किसी भी स्थान पर निवासरत हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हों एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होने पर वह बिना किसी स्थानीय चिकित्सा अधिकारियों के औपचारिक रेफर के रेलवे द्वारा अनुबंधित किसी भी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते है।

इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारी को M/S UTITSL वेबसाईट http;//www/railctse.utiitsl.com/पर ऑनलाईन आवेदन करना होता है तथा आवेदन की हार्डकॉपी एवं निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न कर अपने सेवानिवृत्त मंडल के स्थापना विभाग को भेजना होता है। स्थापना विभाग, चिकित्सा विभाग एवं लेखा विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया आवेदन सत्यापन इत्यादि पूर्ण करने के पश्चात स्थापना विभाग द्वारा आवेदन ऑनलाईन M/S UTITSL को अग्रेषित किया जाता है तथा M/S UTITSL द्वारा कार्ड तैयार कर संबंधित कर्मचारी को डाक द्वारा भेज दिया जाता है।

<u>सेवानिवृत्ति की आयु के बाद नौकरी में अनियमित रूप से बने रहना :</u>

जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी नौकरी में अनियमित रूप से बना रहता है उसे सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद के वेतन और भत्ते आदि का दावा करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसका नौकरी में बना रहना कानून के अनुसार अनुचित था। वह भी इस अनियमितता के लिये बराबर से जिम्मेदार था। अतः ऐसे मामलों में कर्मचारी के अनियमित रूप से नौकरी में बने रहने की पूरी अवधि के दौरान उसे दिये गए वेतन, भत्तों आदि की वसूली की जाये। ये आदेश दिनांक 07.07.1999 से लागू है।